

**परिशिष्ट 1.1**  
(संदर्भ : कडिका 1.1 एवं 1.5.1; पृष्ठ 1 एवं 15)  
**राज्य का परिचय**

अ. सामान्य आंकड़े				
क्रम सं.	विवरण	आंकड़े		
1	क्षेत्रफल	94163 वर्ग कि.मी.		
2	जनसंख्या			
	अ	2001 के जनगणना के अनुसार		
	ब	2009-2010		
3	जनसंख्या का घनत्व (2001) (राष्ट्रीय घनत्व = 325 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.)	880 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.		
4	गरीबी रेखा के नीचे (राष्ट्रीय औसत = 27.5 प्रतिशत)	41.4 प्रतिशत		
5	शिक्षा (2001) (राष्ट्रीय औसत = 64.8 प्रतिशत)	47 प्रतिशत		
6	शिशु मृत्यु दर (प्रति 1000 जन्म पर) (राष्ट्रीय औसत = 53 प्रति 1000 जन्म पर)	56		
7	जीवन का संभावित जन्म दर (राष्ट्रीय औसत = 63.5 वर्ष)	61.6 वर्ष		
8	गिन्नी गुणांक <sup>1</sup>			
	क	ग्रामीण (सम्पूर्ण भारत = 0.30)		
	ख	शहरी (सम्पूर्ण भारत = 0.37)		
9	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 2009-10 वर्तमान दर पर	155051 करोड़		
10	जीएसडीपी सीएजीआर. <sup>2</sup> (2000-01 से 2009-10)	11.71 प्रतिशत		
11	प्रति व्यक्ति जीएसडीपी सीएजीआर (2000-01 से 2009-10)	9.95 प्रतिशत		
12	जीएसडीपी सीएजीआर (2000-01 से 2008-09)	बिहार		
		सामान्य कोटि के अन्य राज्य		
13	जनसंख्या वृद्धि (2000-01 से 2009-10)	बिहार		
		सामान्य कोटि के अन्य राज्य		
ब वित्तीय आंकड़े				
क्रम सं.	विवरण	आंकड़े (प्रतिशत में)		
1	सीएजीआर	2000-01 से 2008-09		
		सामान्य कोटि के राज्य	बिहार	बिहार
	क राजस्व प्राप्तियाँ का	14.40	14.48	13.71
	ख अपने कर राजस्व का	13.59	10.34	12.47
	ग गैर कर राजस्व का	12.08	6.21	9.93
	घ कुल व्यय का	12.38	11.13	11.55
	इ पूंजीगत व्यय का	21.41	25.06	23.76
	च शिक्षा पर राजस्व व्यय का	9.33	6.65	7.08
	छ स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का	8.95	2.28	3.75
	ज वेतन एवं मजदूरी का	9.37	5.25	7.85
	झ पेंशन का	12.03	7.09	8.86

स्त्रोत:- वित्तीय आँकड़ा वित्त लेखे पर आधारित आँकड़े हैं। बी0पी0एल0(योजना आयोग एवं एन एस एस ओ आँकड़े 61वें राउण्ड एनटीटीपी://योजना आयोग निक.ईन/डाटा/डाटावेस/डाटा 0910/टेब/4/2021 पीडीएफ), गिन्नी गुणांक (योजना आयोग का गैर सरकारी प्राक्कलन एवं एनएसएसओ डाटा, 61वें राउण्ड 2004-05 एम आर पी), जीवन का संभावित जन्म दर (भारत के महानिबंधक का कार्यालय; गृह मंत्रालय; आर्थिक सर्वेक्षण 2009-10, शिशु मृत्यु दर (एसआरएस बुलेटिन अक्टूबर 2009), जनसंख्या घनत्व (भारत के महानिबंधक एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय: गृह मंत्रालय एवं शिक्षा) अवधि 2001-02 से 2008-09 या 2009-10 के मामले में

<sup>1</sup> यह आय के असामान्य वितरण का माप है जहाँ शून्य पूर्ण समानता को दर्शाता है एवं एक पूर्ण असमानता को दर्शाता है।

<sup>2</sup> सीएजीआर=मिश्रित वार्षिक विकास दर

परिशिष्ट 1.2

(संदर्भ: कडिका 1.1.1; पृष्ठ 1)

वर्ष 2009-10 की प्राप्तियाँ एवं संवितरण का सार

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ				संवितरण					
2008-09			2009-10	2008-09		2009-10			
						गैर योजना	योजना	योग	
		खण्ड: अ राजस्व							
32980.69	I	राजस्व प्राप्तियाँ	35526.83	28511.58	I	राजस्व व्यय	24145.38	8438.79	32584.17
6172.74		कर राजस्व	8089.67	10529.51		सामान्य सेवाएँ	11850.99	351.36	12202.35
1153.32		करेत्तर राजस्व	1670.42	12252.10		सामाजिक सेवाएँ	8046.11	5140.30	13186.41
17692.51		संघीय करों का राज्यांश	18202.58	6705.91		शिक्षा खेल, कला एवं संस्कृति	6015.51	1400.71	7416.22
2550.44		गैर योजना अनुदान	2256.20	1193.37		स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1187.13	200.69	1387.82
3600.09		राज्य योजना हेतु अनुदान	3720.97	1413.40		जलापूर्ति स्वच्छता, आवास एवं नगर विकास	554.53	883.71	1438.24
1811.59		केन्द्रीय योजना एवं केन्द्रीय प्रायोजित योजना हेतु अनुदान	1586.99	43.99		सूचना एवं प्रसारण	47.17	4.84	52.01
				230.46		अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	67.19	340.34	407.53
				67.39		श्रम एवं श्रम कल्याण	54.78	15.11	69.89
				2562.22		समाज कल्याण एवं पोषण	92.60	2167.61	2260.21
				35.35		अन्य	27.19	127.30	154.49
				5726.01		आर्थिक सेवाएँ	4140.82	2947.13	7087.95
				1272.69		कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप	856.11	647.44	1503.55
				2109.20		ग्रामीण विकास	708.25	1972.19	2680.44
				-		विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम			
				704.32		सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	816.14	81.17	897.31
				722.50		उर्जा	862.61	5.00	867.61
				226.07		उद्योग एवं खनिज	44.81	220.58	265.39
				493.37		परिवहन	690.04		690.04
				-		विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण			-

प्राप्तियाँ				संवितरण					
2008-09			2009-10	2008-09		2009-10			
						गैर योजना	योजना	योग	
				197.86		सामान्य आर्थिक सेवाएँ	162.86	20.75	183.61
				3.96		सहायता अनुदान एवं अंशदान	107.47	-	107.47
				28511.58		कुल			32584.17
	II	खण्ड ब में ले जाए गए राजस्व घाटे		4469.11	II	खण्ड ब में ले जाए गए राजस्व अधिशेष			2942.66
<b>32980.69</b>		कुल	<b>35526.83</b>	<b>32980.69</b>		कुल			<b>35526.83</b>
		खंड ब अन्य							
<b>2188.06</b>	III	स्थायी अग्रिम तथा रोकड़ शेष निवेश को शामिल करते हुए आरंभिक रोकड़ शेष	<b>3557.09</b>		III	भारतीय रिजर्व बैंक से प्रारंभिक ओभर ड्राफ्ट			
	IV	विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ		<b>6436.35</b>	IV	पूँजीगत परिव्यय	<b>63.97</b>	<b>7268.12</b>	<b>7332.09</b>
				206.65		सामान्य सेवाएँ	57.80	216.68	274.48
				640.02		सामाजिक सेवाएँ	6.85	1115.70	1122.55
				176.51		शिक्षा खेल, कला एवं संस्कृति	-	333.96	333.96
				97.21		स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	-	120.52	120.52
				186.57		जलापूर्ति स्वच्छता, आवास एवं नगर विकास	6.85	457.86	464.71
				4.93		सूचना एवं प्रसारण	-	3.00	3.00
				41.77		अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	-	26.18	26.18
				100.76		समाज कल्याण एवं पोषाहार	-	153.59	153.59
				37.20		अन्य	-	20.59	20.59
				5589.68		आर्थिक सेवाएँ	-0.68	5935.74	5935.06
				11.04		कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप	-	1.00	1.00
				1273.79		ग्रामीण विकास	-	852.65	852.65
				-		विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम			
				1140.68		सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण		1348.62	1348.62

प्राप्तियाँ				संवितरण					
2008-09			2009-10	2008-09		2009-10			
						गैर योजना	योजना	योग	
				400.00		उर्जा	-	376.00	376.00
				276.72		उद्योग एवं खनिज	-	268.58	268.58
				2463.42		परिवहन	-0.68	3059.11	3058.43
				24.04		सामान्य आर्थिक सेवाएँ	-	29.78	29.78
11.32	V	ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	13.20	551.05	V	ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण	409.52	487.27	896.79
-		विद्युत परियोजनाओं से	-	436.89		उर्जा परियोजनाओं हेतु	157.31	468.94	626.25
9.09		सरकारी सेवकों से	7.12	7.19		सरकारी सेवकों को	7.12	-	7.12
2.23		अन्य से	6.08	106.97		अन्य से	245.09	18.33	263.42
4469.11	VI	राजस्व आधिक्य नीचे ले जाए गए	2942.66	-	VI	राजस्व घाटा नीचे ले जाए गए			
5927.89	VI I	लोक ऋण प्राप्तियाँ	6134.39	1682.28	VII	लोक ऋण का पुर्नभुगतान			1982.99
-		बाहरी ऋण		-		बाहरी ऋण			
5778.03		अर्थोपाय अग्रिमों एवं ओभरड्राफ्ट के अलावे आंतरिक ऋण	5370.07	1253.60		अर्थोपाय अग्रिमों एवं ओभरड्राफ्ट के अलावे आंतरिक ऋण			1169.32
-		अर्थोपाय अग्रिमों के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-	-		अर्थोपाय अग्रिमों के अन्तर्गत निवल लेन-देन			
-		ओभर ड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन	-						
149.86		भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	764.32	428.68		भारत सरकार को ऋण एवं अग्रिमों का पुर्नभुगतान			813.67
-	VI II	आकस्मिकता निधि को विनियोजन	-	-	VIII	आकस्मिकता निधि को विनियोजन			
-	IX	आकस्मिकता निधि को राशि का स्थानांतरण	-	-	IX	आकस्मिकता निधि से व्यय			
16941.02	X	लोक लेखा प्राप्तियाँ	15303.39	17310.63	X	लोक लेखा संवितरण			15447.74
1153.36		लघु बचत एवं भविष्य निधियाँ	707.19	1008.95		लघु बचत एवं भविष्य निधियाँ			970.05
1302.48		आरक्षित निधि	565.67	869.24		आरक्षित निधि			467.36
184.45		उचन्त एवं विविध	296.81	219.61		उचन्त एवं विविध			197.28
7090.79		प्रेषण	7422.76	7312.36		प्रेषण			7367.94
7209.94		जमा एवं अग्रिम	6310.96	7900.47		जमा एवं अग्रिम			6445.11

प्राप्तियाँ				संवितरण					
2008-09			2009-10	2008-09			2009-10		
							गैर योजना	योजना	योग
	XI	भारतीय रिजर्व बैंक से अन्तिम ओवरड्राफ्ट		3557.09	XI	अंतिम शेख रोकड़			2291.13
				-		कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण			-
				-740.06		रिजर्व बैंक के पास जमा			(-)2536.45
				178.16		विभागीय शेख स्थायी अग्रिम आदि सहित			200.44
				4118.99		रोकड़ शेख निवेश			4627.14
<b>29537.40</b>		<b>कुल</b>	<b>27950.74</b>	<b>29537.40</b>		<b>कुल</b>			<b>27950.74</b>

परिशिष्ट 1.3

(संदर्भ: कंडिका 1.2.2; पृष्ठ 6)

राज्य क्रियान्वयन समितियों को निधि का सीधा हस्तान्तरण

(₹ करोड़ में)

कार्यक्रम/योजना	राज्य में क्रियान्वयन करने वाले समितियां	2008-09			2009-10		
		केन्द्रांश	राज्यांश यदि लागू हो	कुल	केन्द्रांश	राज्यांश यदि लागू हो	कुल
सर्व शिक्षा अभियान*	बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्	1659.24	855.00	2514.24	1217.39	903.45	2120.84
एन पी ई जी ई एल*		36.20	30.00	66.20	0.00	26.85	26.85
कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय		166.14	53.25	219.39	0.00	0.00	0.00
<b>योग (एस.एस.ए.* + एन.पी.ई.जी.ई.एल.* +के.जी.बी.वी.* )</b>		<b>1861.58</b>	<b>938.25</b>	<b>2799.83</b>	<b>1217.39</b>	<b>930.30</b>	<b>2147.69</b>
कुल राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन-ए	राज्य स्वास्थ्य समिति	351.17	-	351.17	420.84	213.46	633.46
कुल राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन-बी		217.20	-	217.20	-	-	-
कुल राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन-सी		76.73	0.19	76.92	-	-	-
कुल राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन-डी		12.44	-	12.44	-	-	-
<b>योग एन.आर.एच.एम.*</b>		<b>657.54</b>	<b>0.19</b>	<b>657.73</b>	<b>420.84</b>	<b>213.46</b>	<b>633.46</b>
एम.एन.आर.ई.जी.ए.*	डी.आर.डी.ए.*	1369.03	144.28	1513.31	1032.80	103.41	1136.21
एस.जी.एस.वाई.*		240.75	35.11	275.86	131.91	43.04	174.95
आई.ए0वाई (न्यू)		2187.24	494.79	2682.03	2009.19	517.20	2526.39
आई.ए0वाई (अपग्रेडेशन)							
आई.ए0वाई (5%)		0	0.31	0.31			
आई.ए0वाई (कालाजार प्रभावित) 2006+2008		97.58	0.53	98.11			
आई.डब्ल्यू.डी.पी.*		7.32	0.79	8.11	-	-	-
डी.आर.डी.ए. (प्रशासन)		13.62	4.64	18.26	-	-	-
हरियाली					5.71	-	5.71
<b>योग डी.आर.डी.ए.</b>			<b>3915.54</b>	<b>680.45</b>	<b>4595.99</b>	<b>3179.61</b>	<b>663.65</b>
कुल सफाई अभियान					90.47		
सांसदों द्वारा स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एम.पी.एन. ए.डी.एस.)	जिला पदाधिकारी				101.50		
सामाजिक आर्थिक विकास के लिए विज्ञान एवं तकनीकी कार्यक्रम	पंजीकृत समितियाँ (स्वयंसेवी संस्थान)				0.85		
ऑफ गिड डी.आर.पी.एस.	बिहार पुर्ननवीनीकरण उर्जा विकास अभिकरण				0.99		
कला और संस्कृति का प्रोन्नति और संवर्द्धन	पंजीकृत समितियाँ (स्वयंसेवी संस्थान)				1.07		
हस्तशिल्प	पंजीकृत समितियाँ (स्वयंसेवी संस्थान)				1.82		
स्मारिका तथा अन्य	नव नालंदा महाबिहार				2.80		
महिला सामाख्या	बिहार महिला सामाख्या समिति				5.44		
राष्ट्रीय फार्मा स्यूटिकल तथा शोध संस्थान	राष्ट्रीय फार्मा स्यूटिकल तथा शोध संस्थान				7.15		

व्यस्क शिक्षा एवं दक्षता विकास के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं (एस.आर.सी.) को सहयोग	जन शिक्षा संस्थान				7.86		
स्वैच्छिक अभिकरणों को सहायक अनुदान सहित राष्ट्रीय काल श्रम परियोजना	बाल श्रम परियोजना समिति				16.61		
असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए स्वास्थ्य बीमा (राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा)	बिहार राज्य श्रम कल्याण समितियाँ				31.98		
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान	राज्य कृषि प्रबंधन तथा विस्तार प्रशिक्षण				43.32		
नये आई.आई.टी. की स्थापना	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना				52.50		
राज्य बजट से बाहर भारत सरकार की कुल निधि		6434.66			5182.20		
बिहार सरकार की प्राप्तियाँ		38920.00			41674		
बिहार सरकार का व्यय		37181			42796		
कुल योजना अनुदान (राज्य योजना+केंद्र प्रायोजित योजना +केंद्र योजना)		5411.68			5308		
कुल (केन्द्रीय) अनुदान (योजना+गैर योजना)		7962.12			7564.16		
राज्य बजट से बाहर केन्द्रीय निधियों का प्रतिशत (प्राप्ति)		16.53			12.43		
राज्य बजट से बाहर केन्द्रीय निधियों का प्रतिशत (व्यय)		17.31			12.11		
बिहार सरकार के बजट के बाहर केन्द्रीय निधि कुल केन्द्रीय योजना अनुदान एक प्रतिशत (राज्य योजना+केन्द्रीय योजना+केंद्र प्रायोजित योजना)		118.90			97.63		
बिहार सरकार के बजट के बाहर केन्द्रीय निधि कुल केन्द्रीय अनुदान का प्रतिशत		80.82			68.51		

\*एस.एस.ए. सर्व शिक्षा अभियान, बी.ई.पी.सी. बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, एन.पी.ई.जी.इ.एल. प्राथमिक स्तर पर छात्राओं की शिक्षा का राष्ट्रीय कार्यक्रम के.जी.जी.भी. कस्तुवा गाँधी बालिका एनआरएचएम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एम.एन.आर.ई.जी.ए. महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना डी.आर.डी.ए. जिला ग्रामीण विकास अधिकरण एस.जी.एस.वाई. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, आई.ए.वाई. इन्दिरा आवास योजना आई.डब्ल्यू.डी.पी. समेकित वेस्ट ई विकास परियोजना

परिशिष्ट 1.4

(संदर्भ: कंडिका 1.3 एवं 1.7.2; पृष्ठ 7 एवं 22)  
राज्य सरकार के वित्त कालबद्ध आंकड़े

(₹ करोड़ में)

	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-09	2009-10
खण्ड अ प्राप्तियाँ					
<b>1. राजस्व प्राप्तियाँ</b>	<b>17837</b>	<b>23083</b>	<b>28210</b>	<b>32981</b>	<b>35527</b>
<b>(i) कर राजस्व</b>	<b>3561(20)</b>	<b>4033(17)</b>	<b>5086(18)</b>	<b>6173(19)</b>	<b>8090(23)</b>
विक्रय, व्यापार आदि पर कर	1734(49)	2081(52)	2535(50)	3016(49)	3839(48)
राज्य उत्पाद	319(9)	382(9)	525(10)	679(11)	1082(13)
वहन पर कर	302(8)	181(4)	273(5)	298(5)	345(4)
मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क	505(14)	455(11)	654(13)	716(12)	998(12)
भू-राजस्व	55(2)	75(2)	82(2)	102(1)	124(2)
माल एवं यात्री कर	613(17)	783(19)	938(18)	1279(21)	1613(20)
अन्य कर	33(1)	76(2)	79(2)	83(1)	89(1)
<b>(ii) गैर राजस्व कर</b>	<b>522(3)</b>	<b>511(2)</b>	<b>526(2)</b>	<b>1153(3)</b>	<b>1670(5)</b>
<b>(iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का अंश</b>	<b>10421(58)</b>	<b>13292(58)</b>	<b>16766(59)</b>	<b>17693(54)</b>	<b>18203(51)</b>
<b>(iv) भारत सरकार से सहायतानुदान</b>	<b>3333(19)</b>	<b>5247(23)</b>	<b>5832(21)</b>	<b>7962(24)</b>	<b>7564(21)</b>
<b>2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>
3. ऋण एवं अग्रिम की वसूली	51	7	26	11	13
<b>4. कुल राजस्व एवं गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)</b>	<b>17888</b>	<b>23090</b>	<b>28236</b>	<b>32992</b>	<b>35540</b>
<b>5. लोक ऋण प्राप्तियाँ</b>	<b>3770</b>	<b>2358</b>	<b>1612</b>	<b>5928</b>	<b>6134</b>
आंतरिक (अर्थोपाय, अग्रिम एवं ओभरड्राफ्ट को छोड़कर)	3768	2355	1144	5778	5370
आंतरिक अर्थोपाय अग्रिम एवं ओभरड्राफ्ट के तहत निवल लेन-देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	2	3	468	150	764
<b>6. संवित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5)</b>	<b>21658</b>	<b>25448</b>	<b>29848</b>	<b>38920</b>	<b>41674</b>
7. आकरिमकता निधि प्राप्तियाँ	-	-	-	-	-
<b>8. लोक लेखा प्राप्तियाँ</b>	<b>5695</b>	<b>9224</b>	<b>12837</b>	<b>16941</b>	<b>15303</b>
<b>9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)</b>	<b>27353</b>	<b>34672</b>	<b>42685</b>	<b>55861</b>	<b>56978</b>
खण्ड-ब-व्यय/संवितरण					
<b>10. राजस्व व्यय</b>	<b>17756</b>	<b>20585</b>	<b>23563</b>	<b>28512</b>	<b>32584</b>
योजना	2736(15)	4065(20)	4804(20)	7280	8439
गैर-योजना	15020(85)	16520(80)	18759(80)	21232	24145
सामान्य सेवाएँ (ब्याज भुगतान सहित)	8523(48)	8643(42)	9252(39)	10530	12202
सामाजिक सेवाएँ	6862(38)	7917(38)	9868(42)	12252	13186
आर्थिक सेवाएँ	2367(13)	4021(20)	4438(19)	5726	7088
सहायता अनुदान एवं अंशदान	4	4	5	4	108
<b>11. पूँजीगत व्यय</b>	<b>2084</b>	<b>5211</b>	<b>6104</b>	<b>6436</b>	<b>7332</b>
योजना	2061(99)	5132(98)	5991(98)	6336	7268
गैर-योजना	23(1)	79(2)	113(2)	100	64
सामान्य सेवाएँ	72(3)	155(3)	223(4)	206	274
सामाजिक सेवाएँ	328(16)	596(11)	799(13)	640	1123
आर्थिक सेवाएँ	1684(81)	4460(86)	5082(83)	5590	5935
<b>12. ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण</b>	<b>1748</b>	<b>315</b>	<b>272</b>	<b>551</b>	<b>897</b>
<b>13. कुल (10+11+12)</b>	<b>21588</b>	<b>26111</b>	<b>29939</b>	<b>35499</b>	<b>40813</b>



	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-09	2009-10
14. लोक ऋण का पुनर्भुतान	981	1025	1632	1682	1983
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय, अग्रिम एवं ओभरड्राफ्ट को छोड़कर)	493	708	1203	1254	1169
अर्थोपाय, अग्रिम एवं ओभरड्राफ्ट के तहत निवल लेन-देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	488	317	429	428	814
15. आकरिमकता निधि को विनियोजन	-	-	-	-	-
16. संचित निधि से कुल संवितरण (13+14+15)	22569	27136	31571	37181	42796
17. आकरिमकता निधि संवितरण	-	-	-	-	-
18. लोक लेखा संवितरण	4415	8016	10334	17311	15448
19. राज्य सरकार द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	26984	35152	41905	54492	58428
खण्ड-स-घाटा					
20. राजस्व घाटा (-)/राजस्व आधिक्य (+) (1-10)	81	2498	4647	4469	2943
21. राजकोषीय घाटा (-)/राजकोषीय आधिक्य (+) (4-13)	(-3700)	(-3021)	(-1703)	(-2507)	(-5273)
22. प्रारम्भिक घाटा/प्रारम्भिक आधिक्य (21+23)	(-51)	(+395)	(+2004)	(+1246)	(-1588)
खण्ड-द-अन्य आंकड़े					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में शामिल)	3649	3416	3707	3753	3685
24. स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता	1110	1017	1133.37	4422.49	4456.09
25. उपयोग किये गये अर्थोपाय अग्रिम/ओभरड्राफ्ट (दिन)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उपयोग किये गये अर्थोपाय अग्रिम/ओभरड्राफ्ट (दिन)					
उपयोग किये गये ओभरड्राफ्ट (दिन)					
26. अर्थोपाय अग्रिम एवं ओभरड्राफ्ट पर ब्याज	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) @	79382	99579	114616	142504	155051
28. लंबित राजकोषीय दायित्व (वर्षान्त)	46495	49089	50989	54977	58690
29. लंबित प्रत्याभूति (वर्षान्त)	605	608	516	704	859
30. गारंटी दी गई अधिकतम राशि (वर्षान्त)	1531	1538	1538	1538	1548
31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	6	6	9	78	288
32. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूँजी	2393	2393	2793	1016.08	940.81
खण्ड-ई-राजकोषीय स्थिति का सूचक					
I. संसाधन संग्रहण (प्रतिशत में)					
निजी राजस्व कर/जी.एस.डी.पी.	4.49	4.05	4.44	4.33	5.22
निजी करेतर राजस्व/ जी.एस.डी.पी.	0.66	0.51	0.46	0.81	1.08
केन्द्रीय स्थानांतरण/ जी.एस.डी.पी.	13.13	13.35	14.63	12.42	11.74
II. व्यय प्रबंधन (प्रतिशत में)					
कुल व्यय/ जी.एस.डी.पी.	27.20	26.22	26.12	24.91	26.32
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ	121.08	113.11	106.12	107.63	114.88
राजस्व व्यय/कुल व्यय	82.25	78.84	78.70	80.31	79.84
सामाजिक सेवाओं पर व्यय /कुल व्यय	33.31	32.60	35.63	36.32	35.06
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	18.76	32.48	31.80	31.88	31.91

	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-09	2009-10
पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	9.65	19.95	20.38	18.13	17.97
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	9.32	19.36	19.64	17.34	17.29
<b>III राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन</b>					
राजस्व घाटा (आधिक्य)/ जी.एस.डी.पी.	0.10	2.51	4.06	3.14	1.90
राजकोषीय घाटा / जी.एस.डी.पी.	-4.66	-3.03	-1.49	-1.76	-3.40
प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/ जी.एस.डी.पी.	-0.06	0.40	1.75	0.87	-1.02
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	-2.19	82.69	-272.87	-178.26	-55.81
आरंभिक राजस्व शेष/ जी.एस.डी.पी.	-4.83	-5.55	-5.56	-4.90	-5.31
<b>IV. राजकोषीय दायित्वों का प्रबंधन</b>					
राजकोषीय दायित्व/ जी.एस.डी.पी.	58.57	49.29	44.48	38.58	37.85
राजकोषीय दायित्व/आर.आर.	260.67	212.66	180.75	166.69	165.20
आरंभिक घाटा यथा मात्रा विस्तार	-0.09	0.05	-0.51	0.13	-1.17
ऋण विमोचन (मूलधन+ब्याज)/कुल ऋण प्राप्ति	65.93	134.52	321.59	64.55	73.61
<b>V. अन्य राजकोषीय स्थिति सूचक</b>					
निवेश पर प्रतिफल	0.00	0.00	0.38	0.26	0.24
घालू राजस्व से शेष (करोड़ रूपयों में)	685.02	2995.78	5124.24	3952.78	6213.49
वित्तीय परिसंपत्तियाँ/दायित्व	80	86	96	96	92

कोष्ठक में दिये गये आंकड़े प्रत्येक उपशीर्षों के कुल प्रतिशतता दिखलाते हैं।

@ सरकार द्वारा अपनायी गई सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़ें

**परिशिष्ट 1.5**  
(संदर्भ: कड़िका 1.3.3; पृष्ठ 10 )  
बजट प्राक्कलन एवं वास्तविक प्राप्तियों में अन्तर

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	राजस्व शीर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	विचलन वृद्धि (+) घटा (-)	प्रतिशत
• कर राजस्व					
1.	राज्य उत्पाद	850.00	1,081.68	(+) 231.68	(+) 27.26
2.	मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क	750.00	997.90	(+) 247.90	(+) 33.05
3.	विद्युत पर कर तथा शुल्क	62.78	66.63	(+) 3.85	(+) 6.13
4.	भू-राजस्व	76.22	123.96	(+) 47.74	(+) 62.63
5.	माल तथा यात्री कर-माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर	1,270.00	1,613.16	(+) 343.16	(+) 27.02
• करेत्तर राजस्व					
1.	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	180.00	319.93	(+) 139.93	(+) 77.74
2.	वानिकी तथा वन्य प्राणी	5.00	6.78	(+) 1.78	(+) 35.60
3.	ब्याज प्राप्तियाँ	53.62	353.27	(+) 299.65	(+) 558.84
4.	मध्यम सिंचाई	3.50	14.80	(+) 11.30	(+) 322.86

परिशिष्ट 1.6  
(संदर्भ: कंडिका 1.3.4; पृष्ठ 11 )  
राजस्व बकायों का विभागवार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2010 को बकाया राशि	पाँच वर्षों से अधिक पुराना बकाया राशि	अभ्युक्तियाँ
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर/वैट	1,323.32	326.45	₹ 1,323.32 करोड़ में से, ₹ 315.71 करोड़ मांग की वसूली के लिए पब्लिक डिमांड रिकवरी (पी.डी.आर.) एक्ट के तहत प्रमाणित किए गए थे। ₹ 362.73 करोड़ एवं ₹ 25.54 करोड़ की वसूली पर क्रमशः न्यायालय एवं सरकार द्वारा रोक लगाई गई थी। ₹ 1.10 करोड़ अप्रलेखन किया जाना संभावित एवं ₹ 618.24 करोड़ की वसूली अन्य स्थितियों में लम्बित थे।
2.	वाहनों पर कर	134.34	अनुपलब्ध	पूरी लम्बित राशि पी.डी.आर. एक्ट के तहत वसूली के लिए प्रमाणित किए गए।
3.	विद्युत पर कर तथा शुल्क	0.36	0.14	₹ 0.36 करोड़ में से, ₹ 0.20 करोड़ की वसूली सरकार के द्वारा रोकी गई थी एवं ₹ 0.16 करोड़ की वसूली अन्य स्थितियों में लंबित थी।
4.	प्रवेश कर	25.55	1.38	₹ 25.55 करोड़ में से, ₹ 1.45 करोड़ मांग की वसूली के लिए पी.डी.आर. एक्ट के तहत प्रमाणित किए गए थे। ₹ 19.55 लाख की वसूली न्यायालय द्वारा रोकी गई थी तथा ₹ 23.90 करोड़ की वसूली अन्य स्थितियों में लम्बित थे।
5.	मनोरंजन कर	9.55	2.22	₹ 9.55 करोड़ में से, ₹ 8.17 करोड़ मांग की वसूली के लिए पी.डी.आर. एक्ट के तहत प्रमाणित किए गए थे। ₹ 15.05 लाख की वसूली न्यायालय द्वारा रोकी गई थी तथा ₹ 1.23 करोड़ की वसूली अन्य स्थितियों में लंबित थे।
6.	जल कर	214.72	अनुपलब्ध	संग्रहण के लिए लंबित बकायों की स्थितियों की मांग (मई एवं अगस्त 2010) किए जाने के बावजूद सूचित नहीं किये गए (सितम्बर 2010)
7.	खान एवं खनिज	214.85	66.40	₹ 214.85 करोड़ में से, ₹ 160.13 करोड़ मांग की वसूली के लिए पी.डी.आर. एक्ट के तहत प्रमाणित किये गए थे। ₹ 54.72 करोड़ की वसूली अन्य स्थितियों में लंबित थी।
कुल		1,922.69	396.59	

## परिशिष्ट 1.7

(संदर्भ: कोडिका 1.7.1; पृष्ठ 21)

## 31 मार्च 2010 को बिहार सरकार के वित्तीय स्थिति का सार

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2009 को	देयता		31 मार्च 2010 को
<b>31293.27</b>	आंतरिक ऋण		<b>35494.01</b>
13370.12	ब्याज वाले बाजार ऋण	15871.95	
0.20	बिना ब्याज वाले बाजार ऋण	0.28	
22.18	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	22.08	
17900.77	अन्य संस्थाओं से ऋण	19599.70	
<b>740.06</b>	भारतीय रिजर्व बैंक में जमा		<b>2536.45</b>
<b>7997.79</b>	केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम		<b>7948.45</b>
3.91	1984-85 से पूर्व ऋण	3.91	
79.19	गैर योजना ऋण	70.06	
7842.94	राज्य योजनाएँ ऋण	7804.99	
7.33	केन्द्रीय योजना हेतु ऋण	6.73	
21.46	केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं हेतु ऋण	19.80	
42.96	अयोपाय अग्रिम योजना मद	42.96	
<b>350.00</b>	आकरिमकता निधि		<b>350.00</b>
<b>9573.58</b>	लघु बचत अग्रिम निधि आदि		<b>9310.72</b>
<b>4887.30</b>	जमा		<b>4753.62</b>
<b>1364.90</b>	आरक्षित निधि		<b>1463.21</b>
	प्रेषण शेष		
<b>56206.90</b>			<b>61856.46</b>
	परिसम्पत्तियाँ		
<b>36919.83</b>	सकल वित्तीय परिव्यय		<b>44251.93</b>
832.28	कंपनियों निगमों आदि के शेयरों में निवेश	856.18	
36087.55	अन्य पूँजीगत परिव्यय	43395.75	
<b>14667.83</b>	ऋण एवं अग्रिम		<b>15551.42</b>
12289.98	उर्जा परियोजना हेतु ऋण	12916.23	
2310.95	अन्य विकास ऋण	2573.55	
66.90	सरकारी सेवकों को ऋण तथा विविध ऋण	61.64	
<b>1279.15</b>	आरक्षित निधि निवेश		<b>1224.33</b>
<b>186.67</b>	अग्रिम		<b>187.13</b>
<b>1021.94</b>	उचंत और विविध शेष		<b>922.41</b>
<b>4297.16</b>	रोकड़		<b>4827.58</b>
0.00	कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण	0.00	
0.00	रिजर्व बैंक में जमा	0.00	
177.76	विभागीय रोकड़ शेष साथ में	200.00	
0.40	स्थायी अग्रिम	0.44	
4119.00	रोकड़ शेष निवेश	4627.14	
<b>2165.68</b>	सरकारी खातों में घाटा		<b>-5108.34</b>
(-4469.11)	घटार्वे : चालू वर्ष का राजस्व आधिक्य	-2942.66	
0.00	(ii) विविध घाटा		
2303.43	वर्ष के प्रारंभ में संचित घाटा	-2165.68	
<b>56206.90</b>			<b>61856.46</b>

परिशिष्ट 2.1

(संदर्भ : कंडिका 2.3.1; पृष्ठ 34)

वैसे अनुदान/विनियोजन की विवरणी जहाँ प्रावधान के ₹ 10 करोड़ से ज्यादा की बचत हुई  
(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोजन का नाम	कुल अनुदान /विनियोजन	बचत	प्रतिशत
1	01	कृषि विभाग	1170.59	212.43	18.15
2	02	पशु एवं मतस्य संसाधन विभाग	329.22	62.53	18.99
3	03	भवन निर्माण विभाग	335.94	74.17	22.08
4	04	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	96.59	28.86	29.88
5	06	निर्वाचन विभाग	205.46	89.98	43.79
6	08	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	67.62	11.13	16.46
7	09	सहकारिता विभाग	292.40	93.70	32.05
8	10	ऊर्जा विभाग	2306.39	411.75	17.85
9	11	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	108.50	32.36	29.82
10	12	वित्त विभाग	384.29	51.11	13.30
11	13	ब्याज भुगतान	4181.21	495.70	11.86
12	15	पेंशन	4382.57	61.88	1.41
13	16	पंचायती राज विभाग	1315.47	197.18	14.99
14	19	पर्यावरण एवं वन विभाग	119.37	26.63	22.31
15	20	स्वास्थ्य विभाग	1795.99	293.61	16.35
16	21	मानव संसाधन विकास विभाग	9817.78	2277.25	23.20
17	22	गृह विभाग	2717.00	265.45	9.77
18	23	उद्योग विभाग	516.09	41.14	7.97
19	25	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	135.36	91.72	67.76
20	26	श्रम संसाधन विभाग	186.02	59.33	31.89
21	27	विधि विभाग	292.10	31.32	10.72
22	30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	221.15	58.43	26.42
23	33	कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग	110.09	26.97	24.50
24	35	योजना एवं विकास विभाग	813.04	549.68	67.61
25	36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	1269.45	502.25	39.56
26	37	ग्रामीण कार्य विभाग	1879.64	621.57	33.07
27	39	आपदा प्रबंधन विभाग	678.98	504.10	74.24
28	40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	765.39	124.16	16.22
29	41	पथ निर्माण विभाग	3764.25	280.20	7.44
30	42	ग्रामीण विकास विभाग	1570.39	224.45	14.29
31	43	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	162.95	13.69	8.40
32	44	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	404.24	54.58	13.50
33	45	गन्ना उद्योग विभाग	76.31	15.58	20.42
34	48	शहरी विकास एवं आवास विभाग	1784.61	652.08	36.54
35	49	जल संसाधन विभाग	3568.90	1622.84	45.47
36	50	लघु जल संसाधन विभाग	500.05	188.91	37.78
37	51	समाज कल्याण विभाग	2512.56	240.60	9.58
<b>कुल</b>			<b>50837.96</b>	<b>10589.32</b>	

(स्रोत: विस्तृत विनियोजन लेखा)

**परिशिष्ट 2.2**  
(संदर्भ: कंडिका 2.3.1; पृष्ठ 34)  
**₹ 50 करोड़ एवं उससे अधिक बचत वाले अनुदान**

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	अनुदान का नाम एवं संख्या	मूल	अनुपूरक	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत
<b>राजस्व-दत्तमत</b>						
1	01-कृषि विभाग	589.34	562.92	1152.26	939.83	212.43
2	02-पशु एवं मतस्य संसाधन विभाग	261.02	68.19	329.22	266.69	62.53
3	06-निर्वाचन विभाग	189.95	15.51	205.46	115.48	89.98
4	09-सहकारिता विभाग	149.33	111.79	261.12	179.98	81.13
5	15-पेंशन	3779.01	600.01	4379.02	4317.44	61.58
6	16-पंचायती राज विभाग	1191.14	124.33	1315.47	1118.29	197.18
7	20-स्वास्थ्य विभाग	1649.06	11.63	1660.69	1381.86	278.83
8	21-मानव संसाधन विभाग	8596.42	862.27	9458.69	7345.42	2113.27
9	22-गृह विभाग	2425.96	123.51	2549.47	2306.75	242.72
10	26-श्रम संसाधन विभाग	156.35	17.67	174.02	114.96	59.06
11	30-अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	195.64	9.58	205.21	148.37	56.85
12	35-योजना एवं विकास विभाग	785.93	1.41	787.34	237.66	549.68
13	37-ग्रामीण कार्य विभाग	421.61	60.95	482.57	405.42	77.15
14	39-आपदा प्रबंधन विभाग	422.63	247.5	670.13	166.02	504.10
15	40-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	471.07	228.63	699.70	579.57	120.13
16	41-पथ निर्माण विभाग	707.07	-	707.34	433.04	274.30
17	42-ग्रामीण विकास विभाग	1231.19	170.00	1401.19	1345.94	55.25
18	44-अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	296.53	93.87	390.39	335.85	54.54
19	48-शहरी विकास एवं आवास विभाग	1754.45	20.17	1774.61	1122.53	652.08
20	49-जल संसाधन विभाग	875.64	1.04	876.68	669.12	207.56
21	50- लघु जल संसाधन विभाग	332.98	0.29	333.27	239.47	93.80
22	51- समाज कल्याण विभाग	2052.27	355.17	2407.44	2169.39	238.05
	<b>कुल</b>	<b>28534.59</b>	<b>3686.44</b>	<b>32221.29</b>	<b>25939.08</b>	<b>6282.20</b>

**राजस्व-भारित**

1	13-ब्याज भुगतान	4170.15	11.06	4181.21	3685.51	495.70
	<b>कुल</b>	<b>4170.15</b>	<b>11.06</b>	<b>4181.21</b>	<b>3685.51</b>	<b>495.70</b>
<b>पूँजीगत-दत्तमत</b>						
1	10-ऊर्जा विभाग	1004.76	401.60	1406.36	1006.65	399.71
2	21-मानव संसाधन विकास विभाग	134.00	225.09	359.09	195.11	163.98
3	36-लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	910.82	2.5	913.32	450.43	462.89
4	37-ग्रामीण कार्य विभाग	1317.07	80.00	1397.07	852.65	544.42
5	42-ग्रामीण विकास विभाग	169.2	-	169.20	-	169.20
6	49-जल संसाधन विभाग	2487.72	204.51	2692.23	1276.95	1415.28
7	50-लघु जल संसाधन विभाग	166.78	-	166.78	71.67	95.11
				<b>कुल</b>	<b>3853.46</b>	<b>3250.59</b>
				<b>महायोग</b>	<b>33478.05</b>	<b>10028.49</b>

परिशिष्ट 2.3

(संदर्भ: कंडिका 2.3.2; पृष्ठ 34)

वैसे अनुदानों की सूची जहाँ वर्ष 2005-10 में सतत् बचत हुए

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	अनुदान का नाम एवं संख्या	बचत की राशि				
		2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
<b>राजस्व-दत्तमत</b>						
1	02-पशुपालन एवं मतस्य संसाधन विभाग	24.75 (25.29)	20.10 (12.27)	26.18 (14.94)	64.55 (18.10)	62.53 (18.99)
2	12-वित्त विभाग	39.65 (42.99)	21.04 (22.40)	94.54 (54.74)	35.16 (12.83)	39.09 (10.91)
3	20-स्वास्थ्य विभाग	457.13 (34.35)	355.35 (28.24)	292.10 (22.03)	395.61 (24.92)	278.83 (16.79)
4	27-विधि विभाग	74.10 (34.89)	29.54 (16.49)	35.32 (16.68)	70.45 (26.76)	31.32 (10.72)
5	40-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	54.71 (20.04)	36.53 (12.57)	38.58 (11.26)	73.16 (19.07)	120.13 (17.17)
6	41-पथ निर्माण विभाग	31.94 (10.94)	37.82 (10.96)	123.15 (29.98)	114.75 (27.17)	274.30 (38.78)
7	50-लघु जल संसाधन विभाग	128.97 (31.08)	289.99 (68.09)	33.72 (17.33)	70.75 (21.92)	93.81 (28.18)
<b>कुल राजस्व दत्तमत</b>		<b>811.25</b>	<b>790.37</b>	<b>643.59</b>	<b>824.43</b>	<b>900.01</b>
<b>पूँजीगत-दत्तमत</b>						
8	03-भवन निर्माण विभाग	97.33 (71.76)	75.94 (59.98)	39.03 (57.17)	53.82 (58.81)	26.79 (29.86)
9	36-लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	209.96 (63.44)	318.63 (56.21)	389.41 (53.87)	495.89 (73.13)	462.89 (50.68)
10	49-जल संसाधन विभाग	313.30 (35.32)	463.82 (44.29)	593.42 (42.19)	1359.51 (55.29)	1415.28 (52.57)
11	50-लघु जल संसाधन विभाग	42.49 (59.87)	60.72 (55.68)	79.06 (51.45)	60.63 (59.44)	95.11 (57.02)
<b>कुल पूँजीगत दत्तमत</b>		<b>663.08</b>	<b>919.11</b>	<b>1100.92</b>	<b>1969.85</b>	<b>2000.07</b>

(स्रोत: राज्य का विनियोजन लेखे)



## परिशिष्ट 2.4

(संदर्भ: कंडिका 2.3.4; पृष्ठ 35)

विगत वर्षों में प्रावधान से अधिक व्यय जिन्हें विनियमित किया जाना है

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदान/विनियोजन की संख्या	अनुदान/विनियोजन संख्या	अधिकाई व्यय	लोक लेखा समिति में विचारार्थ की स्थिति
1977-78	2	5, 24	0.40	अविनियमित
1978-79	2	17, 27	16.17	-वही-
1979-80	1	17	33.46	-वही-
1980-81	2	12, 17	26.03	-वही-
1981-82	7	3, 11, 12, 13, 15, 17, 24	39.24	-वही-
1982-83	2	12, 22	4.79	-वही-
1983-84	2	11, 12	9.98	-वही-
1984-85	2	3, 14	2.62	-वही-
1985-86	2	10, 13	14.83	-वही-
1986-87	1	13	65.62	-वही-
1987-88	6	9, 19, 25, 38, 48	244.76	-वही-
1988-89	3	9, 25, 38	85.15	-वही-
1989-90	3	25, 27, 38	99.4	-वही-
1990-91	4	37, 38, 42, 43	92.07	-वही-
1991-92	2	6, 38, 43	85.11	-वही-
1992-93	2	25, 38	93.25	-वही-
1993-94	2	25, 37	157.68	-वही-
1994-95	1	37	170.61	-वही-
1995-96	3	25, 36, 37	213.22	-वही-
1996-97	3	20, 23, 37	22.44	-वही-
1997-98	1	7	0.01	-वही-
1998-99	1	30	0.33	-वही-
1999-00	4	10, 13, 14, 50	196.22	लोक लेखा समिति में विचार-विमर्श किया जा चुका है (सितम्बर 2010) लेकिन इसकी अनुशंसा प्रतिवेदन तथा गजट अधिसूचना अप्राप्त है ।
	1	40	0.01	अविनियमित
2000-01	4	5, 13, 15, 32	712.34	लोक लेखा समिति में विचार-विमर्श किया जा चुका है (सितम्बर 2010) लेकिन इसकी अनुशंसा प्रतिवेदन तथा गजट अधिसूचना अप्राप्त है ।
2001-02	1	15	491.24	-वही-
2002-03	2	15, 47	10.15	-वही-
2003-04	4	10, 14, 15, 32	3701.11	-वही-
	3	11, 13, 50	81.23	अविनियमित
2004-05	4	19, 20, 21, 46	5.68	-वही-
2005-06	4	10, 39, 40, 46	349.56	-वही-
2007-08	2	17, 42	1.93	-वही-
2008-09	3	15, 17, 28	54.63	-वही-
<b>कुल</b>			<b>7081.27</b>	

परिशिष्ट 2.5

(संदर्भ: कडिका 2.3.5; पृष्ठ 36)

मामले जहाँ अनुपुरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹10 लाख या उससे अधिक) अनावश्यक साबित हुए

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	अनुदान की संख्या एवं नाम	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचत	पूरक प्रावधान
<b>अ राजस्व (भारित)</b>					
1	13- ब्याज भुगतान	4170.15	3685.51	484.64	11.06
2	34- बिहार लोक सेवा आयोग	9.94	9.93	0.01	0.60
<b>कुल भारत</b>		<b>4180.09</b>	<b>3695.44</b>	<b>484.65</b>	<b>11.66</b>
<b>अ राजस्व (दत्तमत)</b>					
1	03- भवन निर्माण विभाग	245.04	198.84	46.20	1.18
2	06- निर्वाचन आयोग	189.95	115.48	74.47	15.51
3	07- निगरानी विभाग	18.64	15.35	3.29	0.15
4	08- कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	41.93	32.30	9.63	0.10
5	11- पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	102.28	75.15	27.13	5.23
6	12- वित्त विभाग	355.16	319.26	35.90	3.19
7	16- पंचायती राज विभाग	1191.14	1118.29	72.85	124.33
8	17- वाणिज्यिक कर विभाग	52.12	48.31	3.81	5.02
9	19- पर्यावरण एवं वन विभाग	107.62	92.74	14.88	11.75
10	20- स्वास्थ्य विभाग	1649.06	1381.86	267.20	11.63
11	21- मानव संसाधन विकास विभाग	8596.42	7345.42	1251.00	862.27
12	22- गृह विभाग	2425.96	2306.75	119.21	123.51
13	23- उद्योग विभाग	226.12	206.37	19.75	20.89
14	25- सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	77.50	43.64	33.86	15.21
15	26- श्रम संसाधन विभाग	156.35	114.96	41.39	17.67
16	29- खनन एवं भूगर्भ विभाग	13.05	10.09	2.96	0.15
17	30- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	195.64	148.37	47.27	9.58
18	32- विधान मंडल	69.91	61.63	8.28	1.67
19	35- योजना एवं विकास विभाग	785.93	237.66	548.27	1.41
20	36- लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	352.26	316.77	35.49	3.88
21	37- ग्रामीण कार्य विभाग	421.61	405.42	16.19	60.95
22	39- आपदा प्रबंधन विभाग	422.63	166.02	256.61	247.50
23	43- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	36.06	34.59	1.47	7.29
24	45- गन्ना उद्योग विभाग	45.09	40.45	4.64	3.70
25	46- पर्यटन विभाग	6.61	6.20	0.41	0.19
26	47- परिवहन विभाग	16.61	11.47	5.14	1.57
27	48- शहरी विकास एवं आवास विभाग	1754.44	1122.53	631.91	20.17
28	49- जल संसाधन विभाग	875.64	669.12	206.52	1.04
29	50- लघु जल संसाधन विभाग	332.98	239.47	93.51	0.29
<b>कुल दत्तमत</b>		<b>20763.75</b>	<b>16884.51</b>	<b>3879.24</b>	<b>1577.03</b>
<b>कुल राजस्व</b>		<b>24943.84</b>	<b>20579.95</b>	<b>4363.89</b>	<b>1588.69</b>
<b>ब पूंजीगत दत्तमत</b>					
1	09- सहकारिता विभाग	28.73	18.72	10.01	2.55
2	20- स्वास्थ्य विभाग	135.15	120.52	14.63	0.16
3	36- लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	910.81	450.43	460.38	2.50
4	37- ग्रामीण कार्य विभाग	1317.07	852.65	464.42	80.00
5	49- जल संसाधन विभाग	2487.72	1276.95	1210.77	204.51
6	51- सामाजिक कल्याण विभाग	104.01	102.57	1.44	1.12
<b>कुल पूंजीगत महायोग</b>		<b>4983.49</b>	<b>2821.84</b>	<b>2161.65</b>	<b>290.84</b>
<b>कुल राजस्व महायोग</b>		<b>29927.33</b>	<b>23401.79</b>	<b>6525.54</b>	<b>1879.53</b>

**परिशिष्ट 2.6**  
(संदर्भ : कडिका 2.3.6; पृष्ठ 36)  
**निधियों का आधिक्य पुनर्विनियोग**

(₹ लाख में)

क्रम सं०	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान (मूल + अनुपूरक)	पुनर्विनियोजन	अंतिम आधिक्य(+)/ बचत (-)
1	3	2059-80-800-0002-अन्य प्रशासनिक सेवायें	30.00	100.00	-12.73
2	9	2401-00-110-0107-पायलट मौसम आधारित फसल बीमा योजना हेतु प्रीमियम अनुदान	4226.50	1173.50	-3298.00
3	9	2425-00-001-0002-अधीक्षण	3554.60	4.37	-0.16
4	13	2049-01-200-0004- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम तथा केंद्रीय भंडारागार से लिए गए ऋण पर ब्याज	6.99	0.09	-3.86
5	13	2049-60-701-0004-विक्री कर वापसी के मामले में देय ब्याज	14.00	27.58	-0.26
6	16	2015-00-109-0002-जिला परिषदों/पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों का चुनाव	530.00	45.98	-178.58
7	16	2515-00-196-0003-पंचायतराज संस्थाओं को अनुदान	649.60	1073.69	-373.37
8	16	2515-00-198-0001-पंचायतराज संस्थाओं को सहायता	29881.60	4.00	-441.62
9	20	2210-01-001-0004-अंधेपन की रोक थाम	491.28	202.95	-105.22
10	20	2210-01-110-0001-पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल	7295.22	1050.99	-912.99
11	20	2210-01-110-0011-संक्रामक रोग अस्पताल, पटना	111.46	30.00	-19.22
12	20	2210-01-110-0012-राजेन्द्र नगर अस्पताल, पटना	113.57	87.09	-16.26
13	20	2210-01-200-0001-औषधालय (यक्ष्मा निरोध कार्यक्रम)	2563.06	201.00	-204.65
14	20	2210-01-200-0005-अन्य औषधालय (स्थानीय औषधालय)	942.69	44.71	-56.37
15	20	2210-01-200-0008-रक्त भंडार	204.79	23.75	-0.70
16	20	2210-03-101-0003-स्वास्थ्य उप केंद्र	4170.98	500.00	-468.45
17	20	2210-03-110-0001-सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र	4453.23	1100.00	-159.97
18	20	2210-05-105-0003-दरभंगा मेडिकल कॉलेज	1995.32	47.84	-81.34
19	20	2210-05-105-0022-वर्धमान इंस्टीच्यूट ऑफ हेल्थ साइन्सेज, पावापुरी	155.10	21.50	-85.36
20	20	2210-06-101-0002-राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम	1156.42	5.00	-38.11
21	20	2210-06-102-0001-लोक स्वास्थ्य एवं खाद्य अपमिश्रण का निवारण कार्यक्रम खाद्य नियंत्रण स्थापना	230.84	2.00	-60.72
22	20	2210-06-104-0001-औषधि नियंत्रण स्थापना	710.30	5.00	-124.91
23	20	2210-06-104-0002-प्रधान कुर्नन पूर्ति डीपो, पटना	27.83	11.08	-0.87
24	20	4210-03-050-0102-अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना के लिए भूमि अधिग्रहण (विषम चिकित्सा)	10.00	500.00	-2.44

31 मार्च 2010 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य का वित्त)

क्रम सं०	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान (मूल + अनुपूरक)	पुनर्विनियोजन	अंतिम आधिक्य(+)/ बचत (-)
25	21	2202-01-101-0001-राजकीय प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय	301295.95	27230.61	-4900.76
26	21	2202-02-109-0001-अन्य विद्यालय	109752.28	2761.80	-1728.50
27	21	2202-03-103-0001-इंटरमीडिएट शिक्षा (+2 शिक्षा)	1933.62	100.00	-70.94
28	21	2202-03-800-0001-विहार कॉलेज सेवा आयोग (अनुदान)	45.02	8.02	-9.73
29	21	2202-04-800-0102-व्यस्क शिक्षा	2887.48	4355.63	-598.67
30	21	2202-80-004-0007-के.पी. जयसवाल अनुसंधान संस्थान, पटना	56.71	44.00	-0.76
31	21	2205-00-105-0001-सार्वजनिक पुस्तकालय	58.12	4.65	-0.67
32	21	2251-00-090-0002-माध्यमिक, प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा विभाग	265.98	9.79	-4.46
33	23	2852-80-102-0160-प्री०-प्रोडक्सन एवं पोस्ट प्रोडक्सन सुविधाओं की योजना	3500.00	3828.80	-27.62
34	40	2053-00-101-0001-मुख्य कार्यालय	1360.15	10.00	-19.77
35	41	3054-80-001-0002-पर्यवेक्षण	17831.82	980.00	-262.14
36	41	3054-80-001-0008-राष्ट्रीय उच्च पथ परियोजना निष्पादन	0.01	356.03	-256.07
37	48	2217-80-191-0010-नगर निगम, निगमों, चिन्हित समितियों को बकाया बिजली बिल के भुगतान हेतु दिया गया सहायक अनुदान	950.65	940.65	-62.38
38	48	2217-80-192-0001-ग्याहर्वे वित्त आयोग द्वारा नगर परिषद के प्राथमिक कार्य हेतु की गई अनुशंसा के लिए सहायक अनुदान	1152.23	1137.23	-200.55
39	48	2217-80-193-0001- ग्याहर्वे वित्त आयोग द्वारा नगर पंचायत के प्राथमिक कार्य हेतु की गई अनुशंसा के लिए सहायक अनुदान	737.12	717.12	-291.08
40	48	2251-00-090-0005-शहरी विकास विभाग	333.13	15.00	-0.08
41	49	2701-03-101-0002-अन्य अनुरक्षण व्यय	16.05	99.00	-40.78
42	49	2701-04-101-0002-अन्य अनुरक्षण व्यय	570.40	10.00	-12.87
43	49	2711-03-800-0001-क्षेत्रीय स्थापना (उत्तर)	4199.30	87.00	-137.39
44	49	4701-03-800-0101-सोन बेसिन के लिए सिंचाई परियोजना (कार्य)	455.00	170.00	-24.87
45	49	4701-04-001-0101-स्थापना	383.00	10.08	-1.29
46	49	4701-04-800-0101-क्यूल-बदुआ-चन्दन बेसिन के लिए सिंचाई परियोजना (कार्य)	2100.00	790.00	-961.96
<b>कुल</b>			<b>513409.40</b>	<b>49927.53</b>	<b>-16259.50</b>

(स्रोत: अनुदान पंजी एवं विस्तृत विनियोजन लेखे )

**परिशिष्ट 2.7**  
(संदर्भ : कंडिका 2.3.6; पृष्ठ 36)  
पुनर्विनियोजन द्वारा निधि की अपर्याप्त निकासी

(₹ लाख में)

क्रम सं०	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान (मूल+अनुपूरक)	पुनर्विनियोजन	अंतिम आधिक्य(+) / बचत (-)
1	1	2401-00-001-0106-परियोजना एवं विपणन का सर्वे (नया योजना कार्यक्रम)	1000.00	-673.54	-87.63
2	2	2403-00-001-0001-अधीक्षण	455.79	-148.86	-4.26
3	2	2403-00-101-0003- अस्पताल औषधालय तथा अन्य स्थापना	7759.69	-1238.69	-32.17
4	2	2404-00-102-0010-विस्तारित इकाई	401.29	-11.33	-1.35
5	3	2059-80-052-0001- नई आपूर्ति मरम्मत	100.00	-67.36	-6.19
6	3	2059-80-053-0001- अनुरक्षण एवं मरम्मत	11200.00	-1156.20	-17.02
7	6	2015-00-108-0001- मतदाताओं में फोटो पहचान पत्र जारी करने पर व्यय	2405.00	-1957.47	-24.70
8	12	4058-00-103-0101- मशीन एवं उपस्कर का आधुनिकीकरण तथा राजकीय प्रेस गुलजार बाग के लिए योजना	143.98	-36.00	-107.99
9	13	2049-01-101-0001-बिहार राज्य विकास ऋण पर ब्याज (दिय ब्याज)	112938.68	-17.74	-4749.54
10	16	2515-00-001-0003-जिला पंचायतों की स्थापना	11860.33	-1292.59	-12.49
11	16	2515-00-198-0004-ग्राम पंचायतों में लिपिक सह रोकड़पाल को पारिश्रमिक	3046.68	-2991.98	-54.70
12	19	2406-01-101-0109-अवकृष्ट वनों का पुनर्वास	2009.57	-397.78	-150.07
13	20	2210-01-001-0002-जिला स्वास्थ्य पदाधिकारी	2279.22	-220.81	-111.82
14	20	2210-01-110-0013-सदर अस्पताल	14987.75	-4250.90	-197.89
15	20	2210-01-200-0002-अन्य औषधालय (कुष्ठ उन्मूलन योजना)	3741.89	-376.14	-232.40
16	20	2210-03-103-0001-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	53717.81	-2439.21	-7767.86
17	20	2210-05-105-0013-प्रशिक्षण फार्मसी	239.20	-134.32	-12.13
18	20	2210-05-105-0023-राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, वेतिया	155.08	-23.75	-85.80
19	20	2210-06-200-0001-सामान्य जन के लिए योग प्रशिक्षण	1100.00	-1019.36	-71.86
20	20	2210-06-800-0002-पिछड़े के लिए स्वास्थ्य एवं चश्मा वितरण	700.00	-587.55	-8.70
21	21	2202-01-101-0101-राजकीय प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय	40500.00	-26103.18	-1049.80
22	21	2202-01-198-0002-पंचायत शिक्षकों के लिए समेकित भुगतान	72775.20	-49764.19	-4032.61
23	21	2202-80-004-0118-राज्य शिक्षा स्रोत एवं प्रशिक्षण	925.60	-895.00	-30.60
24	22	2235-60-200-0004-दंगा पीड़ितों के लिए सहायता	3181.00	-46.02	-10.15
25	40	2029-00-800-0101-जोती की चकबन्दी	1794.84	-560.68	-313.00
26	41	3054-80-001-0003-कार्यान्वयन	13091.98	-3430.23	-8368.03
27	41	3054-80-001-0007-राष्ट्रीय उच्चमार्ग परियोजना समीक्षा	778.59	-200.00	-186.23
28	43	2203-00-105-0001-प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	1973.46	-449.13	-17.33
29	48	2217-80-192-0107-नगर परिषद के निर्वाचन प्रतिनिधियों को नियत भत्ता	70.92	-16.30	-0.43
30	49	2700-01-001-0001-स्थापना	7927.50	-2008.24	-413.84
31	49	2700-02-001-0001- स्थापना	12288.00	-3057.60	-326.00
32	49	2700-03-001-0001-स्थापना	18142.50	-4416.04	-264.66
33	49	2701-04-001-0001- स्थापना	3913.90	-646.38	-172.51
34	49	2701-80-001-0001-सचिवालय मुख्यालय स्थापना (अभियंता प्रमुख)	1253.70	-267.67	-9.09
35	49	2711-01-001-0003-क्षेत्रीय स्थापना	24054.00	-4999.54	-291.69
36	49	4700-01-800-0101-कोशी बेसिन के लिए सिंचाई परियोजना	5400.00	-5009.05	-238.49
37	49	4700-02-001-0101- स्थापना	625.00	-340.04	-0.92
<b>कुल</b>			<b>438938.15</b>	<b>-121250.87</b>	<b>-29461.95</b>

(स्रोत : विस्तृत विनियोजन लेखें)

**परिशिष्ट 2.8**

(संदर्भ: कंडिका 2 3 7; पृष्ठ 37)

वर्ष के दौरान पर्याप्त अभ्यर्पण (₹ 50 लाख या उससे अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	अनुदान का नाम एवं संख्या	योजनाओं का नाम (लेखाओं का शीर्ष)	कुल प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	प्रतिशत
1	01-कृषि विभाग	2401-00-001-0106-परियोजनाओं का सर्वेक्षण एवं सूत्रीकरण (नई राज्य योजना कार्यक्रम)	10.00	6.74	67.40
2		2401-00-108-0615-इन्टीग्रेटेड स्कीम फौर आयल सीड,पल्सेज, ऑयलपाम एण्ड मेज (आईसोपोम 75:25) नई योजना	21.00	13.52	64.38
3		2401-00-108-0617-जूट टेक्नोलोजी मिशन	1.35	1.20	88.89
4		2401-00-108-0114-इन्टीग्रेटेड स्कीम फौर ऑयल सीड, पल्सेज, ऑयपाम एण्ड मेज (आईसोपोम 75:25) नई योजना	7.00	4.21	60.14
5		2401-00-109-0106 इनटेन्सिफाय फिल्ड डेवलमेन्ट एण्ड ट्रेनिंग सर्पोट नई योजना	15.00	13.14	87.60
6		2401-00-109-0111 सपोर्ट टू स्टेट एक्सटेंशन प्रोग्राम फौर एक्सटेंशन रिफार्मस	9.00	5.37	59.67
7		2401-00-113-0104- प्रोमोशन ऑफ एग्रीकल्चर वर्क शॉप (मैक्रोमोड राज्यांश 10:90)	30.00	18.46	61.53
8		2401-00-119-0101- उद्यान विकास योजना	7.00	5.35	76.43
9		2401-00-800-0104-मिट्टी, बीज, उर्वरक प्रयोगशाला की स्थापना एवं कार्यरत प्रयोगशाला का उन्नयन	11.00	7.35	66.82
10		2401-00-800-0105- राज्य किसान आयोग	1.00	0.50	50.00
11	02-पशु एवं मतस्य संसाधन विभाग	2403-00-104-0102-अवि एवं आजा का पोषण एवं विकास	2.25	1.46	64.89
12		2405-00-001-0102-मतस्य प्रसार	4.69	3.07	65.46
13		2405-00-101-0106-मछुआरों के लिए आवास, शौचालय, पेयजल एवं अन्य नागरिक सुविधाएँ	0.85	0.71	83.53
14		2405-00-120-0601-मछुआरों के लिए आवास एवं अन्य सुविधाएँ	0.85	0.71	83.53
15		3454-01-001-0602-पशु गणना	7.56	5.47	72.35
16	03-भवन निर्माण विभाग	2059-01-053-0009-प्रखंड भवन का अनुरक्षण	2.00	1.70	85.00
17		2059-80-052-0001-नया आपूर्ति एवं मरम्मत	1.00	0.67	67.00
18		2216-01-053-0002-ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रों /उपकेन्द्रों भवन पर अनुरक्षण व्यय	2.25	1.25	55.56
19		4059-80-051-0002-लघु कार्य	1.00	0.90	90.00
20		4216-01-700-0003-लोक निर्माण कार्य	2.50	2.13	85.20
21		4216-01-700-0602-न्यायिक आवासीय	1.00	0.94	94.00
22	06-निर्वाचन विभाग	2015-00-106-0002-राज्य विधान परिषद का दो वर्षीय चुनाव	2.51	1.44	57.37
23		2015-00-108-0001-मतदाताओं को जारी किया गया फोटो पहचान पत्र पर व्यय	24.05	19.57	81.37
24	09-सहकारी विभाग	2425-00-107-0138-राज्य सहकारी को सहायक अनुदान	8.36	7.61	91.03
25	11-पिछड़े वर्ग एवं अति पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग	2225-03-277-0108-छात्राओं हेतु होस्टल-वृहद निर्माण कार्य राज्य अंश (50:50)	11.50	7.67	66.70
26	12-वित्त विभाग	2052-00-092-0010-वित्तीय संस्थान एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग (कार्यक्रम कार्यान्वयन हेतु)	0.62	0.54	87.10
27		2070-00-800-0008-विविध एवं आकस्मिक व्यय	2.50	2.28	91.20
28	13-ब्याज भुगतान	2049-01-200-0002-एन0सी0डी0सी0 एवं केन्द्रीय भंडारागार से लिए गये ऋण पर ब्याज	4.54	2.58	56.83
29	16-पंचायती राज विभाग	2515-00-101-0110-पंचायती राज प्रशासन एवं लोक विकास	7.00	4.73	67.57
30		2515-00-198-0004-ग्राम पंचायत में क्लर्क कम कैशियर का पारिश्रमिक	30.47	29.92	98.19

क्रम सं०	अनुदान का नाम एवं संख्या	योजनाओं का नाम (लेखाओं का शीर्ष)	कुल प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	प्रतिशत
31		2515-00-800-0115- पंचायती राज एवं मानव संसाधन विकास विभाग हेतु प्रावधान	11.21	10.71	95.54
32	19-पर्यावरण एवं वन विभाग	2406-02-110-0605-उद्यानों का विकास (100% सी0एस0 एस0)	1.00	0.71	71.00
33	20-स्वास्थ्य विभाग	2210-01-110-0019-रोगी कल्याण समिति	2.92	2.29	78.42
34		2210-05-101-0001-आयुर्वेदिक कॉलेज, बेगुसराय	7.84	4.67	59.69
35		2210-05-105-0013-फार्मसी प्रशिक्षण	2.39	1.34	56.07
36		2210-06-200-0001-अन्य लोगों के लिए प्रशिक्षण योग	11.00	10.19	92.64
37		2210-05-800-0002-पिछड़ों के लिए स्वास्थ्य एवं चश्मा वितरण योजना	7.00	5.88	84.00
38		2211-00-001-0602-तकनीकी परामर्श एवं पर्यवेक्षण राज्य परिवार कल्याण ब्यूरो	6.67	5.33	79.91
39		2210-01-110-0012-राजेन्द्र नगर अस्पताल, पटना	1.14	0.72	68.42
40		4210-80-800-0102-रेफरल अस्पताल के अधूरे भवन का निर्माण	3.00	2.10	70.00
41		4210-80-800-0104-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र के लिए भूमि अधिग्रहण	2.00	1.50	75.00
42	21-मानव संसाधन विकास विभाग	2202-01-101-0601-राजकीय प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय	650.15	480.00	73.83
43		2202-01-101-0101-राजकीय प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय	405.00	261.03	64.45
44		2202-01-104-0001-निरीक्षण	113.73	62.20	54.69
45		2202-01-111-0001-सर्व शिक्षा अभियान	400.00	216.71	54.18
46		2202-01-198-0002-पंचायत शिक्षकों को समेकित भुगतान	727.75	497.64	68.38
47		2202-02-053-0101-मध्य विद्यालय भवनों का जीर्णोद्धार	86.32	43.16	50.00
48		2202-02-192-0001-नगर माध्यमिक शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	9.19	5.13	55.82
49		2202-02-192-0002-नगर उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	8.22	6.87	83.58
50		2202-02-193-0001-नगर माध्यमिक स्कूल शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	12.23	8.19	66.97
51		2202-02-193-0002-नगर उच्चतर माध्यमिक स्कूल शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	1.23	0.65	52.85
52		2202-02-196-0002-जिला परिषद उच्चतर माध्यमिक स्कूल शिक्षकों को समेकित अनुदान हेतु	32.78	32.26	98.41
53		2202-03-102-0119-नालंदा अन्तराष्ट्रीय विश्व विद्यालय नालंदा	14.00	13.00	92.86
54		2202-80-004-0118-राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद	9.26	8.95	96.65
55		2202-80-004-0121-बिहार राजभाषा अकादमी	1.00	0.50	50.00
56	2202-02-196-0001-जिला परिषद माध्यमिक शिक्षकों के लिए समेकित अनुदान	163.92	99.37	60.62	
57	4202-01-202-0103-राजकीय एवं राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण	298.79	161.39	54.01	
58	22-गृह विभाग	2205-00-003-0005-राज्य के वाहर विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भगीदारी	4.00	3.94	98.50
59		2205-00-109-0004-आतंक प्रभावित गाँवों में नियुक्त विशेष पुलिस अधिकारियों को मानदेय	3.52	3.39	96.31
60		2205-00-109-0009-एस0आर0ई0 योजना से आच्छादित जिलों में आपात स्थिति में किराये पर लिये जाने वाले वाहन/हेलीकॉप्टर संचार संसाधन (प्रतिपूर्ति भारत सरकार से)	1.00	0.63	63.00
61		2205-00-800-0007-अनुग्रह अनुदान	6.00	5.18	86.33
62	23-उद्योग विभाग	2851-00-102-0103-जिला उद्योग केन्द्रों का स्थापना	21.73	17.77	81.78
63		2851-00-103-0616- हस्तकरघा उद्योग	2.39	1.48	61.92
64		2851-00-103-0103- हस्तकरघा विकास योजना	6.60	3.79	57.42

क्रम सं०	अनुदान का नाम एवं संख्या	योजनाओं का नाम (लेखाओं का शीर्ष)	कुल प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	प्रतिशत
65		2851-00-107-0001-रेशम उद्योग का विकास	7.51	6.94	92.41
66	25-सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग	2852-07-202-0106-ज्ञान सिटी परियोजना	31.48	22.63	71.89
67		2852-07-202-0107-सूचना प्रौद्योगिकी के लिए प्रसारण योजना	3.20	2.38	74.38
68		3451-00-090-0027-सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	1.63	0.99	60.74
69		3451-00-090-0118-सचिवालय स्थानीय नेटवर्क	6.80	4.58	67.35
70	26-श्रम संसाधन विभाग	2230-01-109-0101-बीड़ी कामगारों के लिए भवन निर्माण	1.00	0.60	60.00
71		2230-03-003-0107-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का विकास	3.32	3.07	92.47
72		2230-03-003-0109-मशीनों का आधुनिकीकरण	6.00	3.21	53.50
73		2230-03-003-0118-नए औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना	12.70	9.14	71.97
74		2230-03-101-0101-नए महिला औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना	1.30	0.88	67.69
75	30-अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	2202-02-107-0603-अल्प संख्यक छात्र/छात्राओं को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति	32.70	26.06	79.69
76	33-कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	2051-00-103-0001-बिहार कर्मचारी चयन आयोग	12.54	10.33	82.38
77	35-योजना एवं विकास विभाग	3454-02-204-0605-न्यायिक सर्वे के अधीन लघु सिंचाई परियोजना की गणना	1.78	1.48	83.15
78		3454-02-204-0114-असैनिक निबंधन प्रणाली का सुदृढीकरण	1.07	0.60	56.07
79	36-लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	2215-02-800-0101-बिहार राज्य जल परिषद को अनुदान	25.00	14.46	57.84
80		4215-01-102-0602-केन्द्रीय ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम	657.10	364.57	55.48
81		4215-01-102-0603-त्वरित शहरी जल आपूर्ति योजना	4.00	3.52	88.00
82		4215-01-102-0102-2000 तक जन संख्या वाले ग्रामीण/उप नगरीय क्षेत्र	3.80	2.97	78.16
83		4215-01-102-0115-जल संरक्षण, भू-गर्भीय जल रिचार्ज एवं रेनवाटर हारवेस्टिंग	2.50	1.76	70.40
84		4215-01-102-0116-ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजलापूर्ति के लिए संरचना का विकास हेतु नाबार्ड से ऋण	49.50	31.92	64.48
85		4215-01-102-0117-ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	6.50	5.06	77.85
86		4215-02-106-0104-शहरी क्षेत्रों में पेय जलापूर्ति एवं स्वच्छता सुविधा का सुदृढीकरण	3.00	1.79	59.67
87		4215-02-800-0102-श्मशान घाटों का आधुनिकीकरण एवं विकास	15.00	9.98	66.53
88	40-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	2029-00-800-0003-जोतों की चकवन्दी	5.71	3.60	63.05
89		3454-01-001-0402-कृषि गणना	0.74	0.58	78.38
90	43-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	4202-02-104-0403-नये पोलिटेकनिकों की स्थापना एवं वर्तमान पोलिटेकनिकों का उन्नयन	6.00	4.00	66.67
91	48-शहरी विकास एवं आवास विभाग	2215-01-191-0101-स्थानीय निकाय की पेय जल आपूर्ति हेतु अनुदान	20.00	17.95	89.75
92		2215-01-192-0101-पेय जलापूर्ति के लिए नगर परिषदों को सहायक अनुदान	40.00	37.42	93.55
93		2215-01-193-0101-नगर पंचायत को पेय जल आपूर्ति हेतु अनुदान	20.00	19.00	95.00
94		2217-80-191-0003-नगर पालिका, निगम का बकाया, बिजली बिल भुगतान हेतु चिन्हित समितियों को अनुदान	439.47	327.73	74.57
95		2217-80-192-0103-नगर परिषद के प्रशासनिक एवं तकनीकी भवनों का निर्माण/जीर्णोद्धार को अनुदान	6.00	5.02	83.67
96		2217-80-193-0005-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अलाोक में नगर पंचायत के सहायक अनुदान	10.00	5.58	55.80



क्रम सं०	अनुदान का नाम एवं संख्या	योजनाओं का नाम (लेखाओं का शीर्ष)	कुल प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	प्रतिशत
97		2217-80-193-0103-नगर परिषद प्रशासनिक एवं तकनीकी भवनों के निर्माण/जीर्णोद्धार हेतु अनुदान	5.00	4.57	91.40
98		2217-80-800-0115-स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के लिए अनुदान	9.91	6.40	64.58
99		2217-80-800-0117-परिवहन के स्थानीय निकाय को अनुदान	50.00	28.00	56.00
100		2217-80-800-0131-अभियंत्रण कोषांग हेतु	10.00	7.62	76.20
101		2217-80-800-0133-अल्प लागत जलवाही शौचालय	10.00	8.15	81.50
102	49-जल संसाधन विभाग	2711-01-800-0103-बाढ़ प्रबंधन सूचना प्रणाली परियोजना (विश्व बैंक द्वारा सम्पोषित)	5.00	3.98	79.60
103		4700-01-001-0101-स्थापना	71.48	40.18	56.21
104		4700-01-800-0101-कोसी बेसिन के लिए सिंचाई परियोजना (कार्य)	54.00	50.09	92.76
105		4700-02-001-0101-स्थापना	6.25	3.40	54.40
106		4700-02-800-0103-गंडक बेसिन के लिए सिंचाई परियोजना (कार्य)(नाबार्ड सम्पोषित परियोजना)	3.40	3.27	96.18
107		4700-03-800-0101-सोन बेसिन के लिए सिंचाई परियोजना	186.95	155.83	83.35
108		4700-03-800-0103-सोन बेसिन के लिए सिंचाई परियोजना (कार्य)	15.30	15.28	99.87
109		4700-04-001-0101-स्थापना	14.24	7.48	52.53
110		4700-80-005-0101-सर्वे एवं अन्वेषण (स्थापना)	1.40	1.37	97.86
111		4700-80-800-0102-नदी नहर परियोजना के लिए योजना	5.00	4.92	98.40
112		4701-03-800-0102-सोन बेसिन (कार्य) के लिए सिंचाई परियोजनाएँ (ए.आई.बी.पी.)	10.00	8.47	84.70
113		4701-80-005-0101-सर्वे और अन्वेषण (स्थापना)	0.50	0.42	84.00
114		4711-01-001-0106-जल निस्सारण परियोजनाएँ (कार्य)	6.96	6.66	95.69
115		4711-01-800-0403-गंगा नदी को छोड़कर अन्य नदियों का कटाव निरोधक योजना (नेपाल भाग में कोशी नदी हेतु) (100% केन्द्रांश)	150.00	96.51	64.34
116		50-लघु जल संसाधन विभाग	2702-02-005-0002-लिफ्ट सिंचाई योजनाओं का अनुरक्षण	22.00	11.28
117	2702-02-005-0003-सतही सिंचाई योजना का रख-रखाव हेतु वित्तीय सहायता एवं अनुदान का अंश		6.00	5.03	83.83
118	2702-02-005-0101-सर्वेक्षण और अन्वेषण		1.00	0.68	68.00
119	4702-00-101-0101-लघु सिंचाई		57.59	38.45	66.77
120	4702-00-102-0101- नलकूप योजनाओं के अधुरे कार्यों को पूरा करने हेतु नाबार्ड से ऋण		61.50	38.18	62.08
121	4702-00-102-0102-नई/अधुरे मध्यम सिंचाई योजनाओं को पूरा करने हेतु नाबार्ड से ऋण		5.00	4.06	81.20
122	51-सामाजिक कल्याण विभाग		2235-02-101-0103-विकलांगों के विकास हेतु संगठन	3.00	2.80
123		2235-02-106-0106-बाल दोषी, अनाथ, निराश्रित बच्चों के लिए विशेष योजना	5.00	3.56	71.20
124		2236-02-101-0802-कुपोषित, गर्भवती, शिशुवती महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं के लिए खाद्यान्नों के वितरण की विशेष योजना	16.57	13.79	83.22
125		2235-02-001-0001-निर्देशन एवं प्रशासन	1.23	0.79	64.23
126		2235-02-101-0101-नेत्रहीन विद्यालय	4.00	2.68	67.00
<b>कुल</b>			<b>5500.46</b>	<b>3673.56</b>	

परिशिष्ट 2.9  
(संदर्भ : कंडिका 2.3.7; पृष्ठ 37)  
शत प्रतिशत निधि का अभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	अनुदान का नाम एवं संख्या	योजना का नाम (लेखा शीर्ष)	कुल प्रावधान का अभ्यर्पण
1	01-कृषि विभाग	2401-00-119-0122-राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय द्वारा मशरूम उत्पादन कार्य	1.00
2		2415-01-277-0108-बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबोर, भागलपुर	1.00
3	02-पशु एवं मतस्य संसाधन विभाग	2405-00-101-0603-मतस्य प्रशिक्षण एवं विस्तारित योजना	0.20
4		2405-00-101-0612-मतस्य विकास योजना	1.05
5		2405-00-101-0112-मतस्य विपणन योजना	0.35
6	03-भवन निर्माण विभाग	3053-02-102-0001-हवाई अड्डे	0.30
7		4059-60-051-0101-सचिवालय स्पोर्ट्स स्टेडियम निर्माण	2.00
8		4059-80-051-0106-कल्याण विभाग समाज प्रक्षेत्र मूक वधिर विद्यालय के लिए भवन निर्माण	7.51
9		4059-80-051-0112-जिला सांख्यिकी कार्यालयों के भवनों का निर्माण एवं मरम्मती	3.45
10	09-सहकारी विभाग	2401-00-110-0105-अनुसूचित जाति के लिए विशेष अंगीभूत योजना राज्य कृषि बीमा योजना अंतर्गत किसानों की विभिन्न फसलों की क्षतिपूर्ति हेतु राज्य फसल बीमा निधि में अनुदान	16.71
11		2401-00-110-0106-पिछड़ी जातियों के लिए विशेष अंगीभूत योजना राज्य फसल बीमा हेतु किसानों के वि०फ० की क्षतिपूर्ति हेतु राज्य फसल निधि को अनुदान।	28.20
12		2401-00-110-0108-पायलट मौसम आधारित फसल बीमा योजना हेतु राज्य फसल बीमा निधि को प्रीमियम अनुदान अनुसूचित जाति उपयोजना	0.36
13		2401-00-110-0109-पायलट मौसम आधारित फसल बीमा योजना हेतु राज्य फसल बीमा निधि को प्रीमियम अनुदान- पिछड़ी जाति के लिए अंगीभूत योजना	0.60
14		2401-00-796-0127-राज्य फसल बीमा में अनुदान	1.05
15		2425-00-108-0604-समेकित सहकारी विकास परियोजना के लिए केन्द्रीय सहकारी बैंकों को सहायक अनुदान (केन्द्रीय प्रायोजित योजना)	2.58
16		2425-00-108-0107-समेकित सहकारी विकास परियोजना के लिए केन्द्रीय सहकारी बैंकों को सहायक अनुदान	1.00
17	4425-00-051-0102-राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत गोदाम निर्माण	3.50	
18	09-सहकारी विभाग	6425-00-108-0612-समेकित सहकारी विकास परियोजना के लिये केन्द्रीय सहकारी बैंकों को ऋण	5.00
19	10-ऊर्जा विभाग	2801-80-800-0001-बिहार विद्युत नियामक आयोग	0.25
20		2810-60-800-0101-सीमा क्षेत्र विकास परियोजना	1.20
21	13-ब्याज भुगतान	2049-01-115-0001-भारतीय रिजर्व बैंक से आर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज	3.00

क्रम सं०	अनुदान का नाम एवं संख्या	योजना का नाम (लेखा शीर्ष)	कुल प्रावधान का अर्भ्यपण
22	16-पंचायती राज विभाग	2515-00-196-0001-ग्रामीण सड़क के लिए जिला बोर्ड को देय अनुदान	1.00
23		2515-00-196-0002-ग्रामीण भवन के लिए जिला बोर्ड के लिये देय अनुदान	1.00
24	19-पर्यावरण एवं वन विभाग	2406-02-110-0603-अन्य पार्क संजय गाँधी जैविक उद्यान (सी०एस०एस०)	1.00
25		2406-02-110-0615-वाल्मिकी नगर व्याघ्र योजना इको डेवलपमेन्ट (शत प्रतिशत केन्द्रीय योजना)	0.50
26		2406-02-110-0619-बंजर भूमि का विकास	1.00
27		2406-02-111-0601-अन्य उद्यान	0.50
28	20-स्वास्थ्य विभाग	4210-01-051-0103-जिला चिकित्सा अधिकारी के लिए आवासीय एवं कार्यालय भवन का निर्माण	2.00
29	21-मानव संसाधन विकास विभाग	2202-01-053-0001-प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय भवन का पुननिर्माण	36.08
30		2202-01-800-0008-प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के लिए खेल सुविधा	30.04
31		2202-02-052-0101-माध्यमिक विद्यालयों के लिए उपकरण क्रय हेतु	9.35
32		2202-02-109-0605-आई०टी०सी० परियोजना	10.00
33		2202-02-800-0004-माध्यमिक विद्यालयों के लिए खेल सुविधा	6.64
34	22-गृह विभाग	2055-00-001-0006-हिंसा प्रभावित क्षेत्रों की सुरक्षा से संबंधित व्यय (भारत सरकार द्वारा अनुग्रहीत)	0.43
35		2056-00-003-0004-बिहार सुधारात्मक प्रशिक्षण संस्थान	0.32
36	23-उद्योग विभाग	2852-80-001-0601-बिहार के निर्बंधित लघु उद्योग की गणना	6.18
37		2852-80-102-0147-बिहार में संचालित उद्योग विकास के अन्तर्गत पूँजी निवेश को बढ़ावा हेतु सेमिनार संचालन	0.25
38		2852-00-800-0104-बिहार स्थापना	0.50
39		6885-01-800-0101-अन्य ऋण	0.20
40	25-सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	2852-07-202-0103-ई० सरकार का परियोजना डी०पी०आर०	2.15
41		2852-07-202-0105-राज्य पोर्टल योजना	2.00
42		4859-02-800-0101-बिहार राज्य वाइड एरिया नेटवर्क (स्वान)	39.65
43		4859-02-800-0102-सूचना प्रौद्योगिकी	3.00
44	26-श्रम संसाधन विभाग	2230-03-003-0112-महिलाओं के लिए नये उद्योग प्रशिक्षण संस्थान का प्रस्ताव	0.24
45	35-योजना एवं विकास विभाग	3454-02-204-0401-आर्थिक सर्वेक्षण	0.50
46		3454-02-204-0103-सांख्यिकी कार्मिकों का प्रशिक्षण	0.35
47		3454-02-204-0111-जिला/प्रमण्डलीय इकाई का सृजन	0.40

क्रम सं०	अनुदान का नाम एवं संख्या	योजना का नाम (लेखा शीर्ष)	कुल प्रावधान का अभ्यर्पण
48	36-लोक स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग	2215-01-198-0001-ग्राम पंचायत के ट्यूब वेलों के मरम्मत हेतु सहायता अनुदान	5.00
49		4215-01-102-0112-केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना का राज्यांश भू-गर्भीय जल रिचार्ज एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग	0.50
50	38-निबंधन उत्पाद एवं निषेध विभाग	2030-02-101-0002-प्रतिभूति मुद्रणालय हैदराबाद से प्राप्त स्टाम्पो का लागत	0.50
51	40-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	4047-00-050-0104-सड़क निर्माण के लिए भू अर्जन (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)	5.00
52	42-ग्रामीण विकास विभाग	4515-00-103-0102-प्रखण्ड लघु निर्माण कार्य	169.20
53	43-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	2203-00-112-0103-तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता विकास कार्यक्रम	0.20
54	44-अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग	2225-01-102-0612-हरिजनों के बहुआयामी विकास हेतु अनुसूचित जाति के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता एकीकृत योजना-विशेष अंगीभूत योजना (100 प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजना)	25.00
55		2225-01-277-0101-शिक्षा	1.65
56	48-शहरी विकास एवं आवास विभाग	2217-80-191-0111-निगमों के प्रशासनिक एवं तकनीकी भवनों के पुनर्निर्माण के लिए सहायता अनुदान	4.00
57		2217-80-800-0120-राष्ट्रीय शहरी सूचना तंत्र का स्थापना	0.40
58		2217-80-800-0121-शहरी निकायों को ठोस कचरा प्रबंधन हेतु अनुदान	30.00
59		2217-80-800-0125-राज्यपालीय/नगरीय सुधार	5.00
60	49-जल संसाधन विभाग	4700-02-800-0102-गंडक बेसिन के लिए सिंचाई परियोजना (कार्य)	5.00
61		4700-04-800-0101-किउल बदना-चंदन बेसिन हेतु सिंचाई परियोजना (कार्य )	3.00
62	50-लघु जल संसाधन विभाग	4702-00-102-0103-नए एवं अपूर्ण जीवन सिंचाई योजना को पूर्ण करने हेतु नबार्ड से ऋण	5.00
63		4702-00-102-0106-भारत निर्माण योजना	10.00
64	51-समाज कल्याण विभाग	2235-02-101-0106-समाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	5.00
65		2235-02-101-0109-विकलांगों के लिए कार्यशाला	0.30
66		2235-02-102-0106-समेकित बाल विकास सेवा योजना के अन्तर्गत अभियंत्रण कोषांग हेतु	5.80
67		2235-02-106-0105-बच्चों के लिए विद्यालय की स्थापना	3.00
68		2235-02-106-0107-बाल न्यायालय एवं बाल कल्याण समिति की स्थापना	1.00
69		4235-02-102-0102-सीमा क्षेत्र विकास योजना	2.01
<b>कुल</b>			<b>522.15</b>

**परिशिष्ट 2.10**  
(संदर्भ: कंडिका 2.3.8; पृष्ठ 37)  
वास्तविक बचत का आधिक्य में अभ्यर्पण (₹ 50 लाख या अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान/ पुनर्विनियोजन का नाम एवं संख्या	कुल अनुदान/ पुनर्विनियोजन	बचत	अभ्यर्पित राशि	आधिक्य में अभ्यर्पित राशि
	<b>राजस्व - दत्तमत</b>				
1	17-वाणिज्यिक कर विभाग	57.14	8.83	11.47	2.64
2	22-गृह विभाग	2549.47	242.72	251.25	8.53
3	23-उद्योग विभाग	247.00	40.64	45.07	4.43
4	38-निबंधन, उत्पाद एवं मद निषेध विभाग	99.99	9.97	10.99	1.02
5	42-ग्रामीण विकास विभाग	1401.19	55.25	57.24	1.99
	<b>पूँजीगत-दत्तमत</b>				
1	40-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	65.69	4.04	5.06	1.02
2	41-पथ निर्माण विभाग	3056.91	5.90	6.63	0.73
3	50-लघु जल संसाधन विभाग	166.78	95.11	95.69	0.58
	<b>कुल</b>	<b>7644.17</b>	<b>462.46</b>	<b>483.40</b>	<b>20.94</b>

परिशिष्ट 2.11

(संदर्भ: कंडिका 2.3.9; पृष्ठ 37)

अभ्यर्पित नहीं की गई (₹ एक करोड़ और उससे अधिक एवं प्रावधान का 10 प्रतिशत) बचत की राशि की विवरणी  
(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान/विनियोजन का नाम एवं संख्या	बचत	अभ्यर्पण	बचत जिन्हें अभ्यर्पित किया जाना शेष है	प्रतिशत
1	01- कृषि विभाग	212.43	148.90	63.53	29.91
2	03- भवन निर्माण विभाग	74.17	62.22	11.95	16.11
3	04- मंत्रिमंडल सचिवालय	28.86	4.87	23.99	83.13
4	08- कला संस्कृति एवं युवा विभाग	11.13	00	11.13	100.00
5	09- सहकारिता विभाग	93.70	60.66	33.04	35.26
6	10- उर्जा विभाग	411.75	352.70	59.05	14.34
7	11- पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग	32.36	8.64	23.72	73.30
8	12- वित्त विभाग	51.11	26.00	25.11	49.13
9	13- ब्याज भुगतान	495.70	12.12	483.58	97.55
10	15- पेंशन	61.58	0.03	61.55	99.95
11	16- पंचायती राज विभाग	197.18	163.28	33.90	17.19
12	19- पर्यावरण एवं वन विभाग	26.63	11.23	15.40	57.83
13	20- स्वास्थ्य विभाग	293.61	142.12	151.49	51.60
14	24- सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग	4.62	1.95	2.67	57.79
15	26- श्रम संसाधन विभाग	59.33	32.63	26.70	45.00
16	33- कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	26.97	21.09	5.88	21.80
17	35- योजना एवं विकास विभाग	549.68	29.50	520.18	94.63
18	37- ग्रामीण कार्य विभाग	621.57	224.14	397.43	63.94
19	39- आपदा प्रबंधन विभाग	504.10	0.64	503.46	99.87
20	40- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	124.16	67.64	56.52	45.52
21	41- पथ निर्माण विभाग	280.20	121.68	158.52	56.57
22	44- अ0जा0 एवं अ0ज0ज0 कल्याण विभाग	54.58	45.29	9.29	17.02
23	45- गन्ना उद्योग विभाग	15.58	12.64	2.94	18.87
24	47- परिवहन विभाग	6.70	5.45	1.25	18.66
25	49- जल संसाधन विभाग	1622.84	1122.95	499.89	30.80
	<b>कुल</b>	<b>5860.54</b>	<b>2678.37</b>	<b>3182.17</b>	

## परिशिष्ट 2.12

(संदर्भ: कंडिका 2.3.9; पृष्ठ 36)

30 एवं 31 मार्च 2010 को ₹10 करोड़ से अधिक निधि का अभ्यर्णण के मामले

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	अनुदान सं०	मुख्य शीर्ष	अभ्यर्णित राशि	कुल प्रावधान का प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	01	2401- फसल कृषि कर्म	74.68	15.19
2	02	2403- पशुपालन	10.53	13.57
3	03	2059- लोक निर्माण कार्य	22.50	12.06
4	06	2015- निर्वाचन	72.55	45.33
5	09	2401- फसल कृषि कर्म	33.68	75.00
6	10	2059- लोक निर्माण कार्य	10.33	35.44
7		4801- ऊर्जा परियोजना पर पूंजीगत व्यय	326.00	46.44
8		6801- ऊर्जा परियोजना के लिये ऋण	12.07	29.03
9	16	2515- अन्य ग्रामीण विकास विभाग	131.80	19.13
10	17	2040- विक्रय, व्यापार इत्यादि पर कर	10.97	21.36
11	20	2210- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	42.23	6.15
12	21	2202- सामान्य शिक्षा	1855.77	27.08
13		4202- शिक्षा, खेल, कला एवं विज्ञान पर पूंजीगत परिव्यय	161.39	54.02
14	22	2055- पुलिस	169.24	10.65
15		4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	22.01	30.58
16	23	2851- ग्राम एवं लघु उद्योग	12.73	58.58
17	25	2852- उद्योग	36.97	60.89
18		4859- दूर संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	39.65	100.00
19	27	2014- न्याय प्रशासन	22.79	9.18
20	30	2202- सामान्य शिक्षा	26.05	79.68
21		2250- अन्य सामाजिक सेवार्थ	26.43	20.21
22	33	2051- बिहार लोक सेवा आयोग	10.33	82.38
23	35	2053- जिला प्रशासन	15.00	18.18
24	36	2215- जल आपूर्ति एवं सफाई	14.46	57.83
25		4215- जल आपूर्ति एवं सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	411.95	55.53
26	37	2515- अन्य ग्रामीण विकास योजनाएं	24.71	22.54
27		3054- सड़क एवं पुल	42.03	14.01
28		4515- अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	144.66	24.15
29	40	2053- जिला प्रशासन	40.64	29.22
30	41	3054- सड़क एवं पुल	103.76	28.78
31	42	2515- अन्य ग्रामीण विकास योजनाएं	41.85	19.78
32		4515- अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	169.20	100.00
33	44	2225- अ0जा0, अज0जा0 एवं पिछड़ा वर्ग का कल्याण	25.00	100.00
34	48	2215- जल आपूर्ति एवं सफाई	94.37	64.48
35		2217- शहरी विकास	461.70	43.58
36	49	2700- बृहद सिंचाई	93.67	24.42
37		2711- बाढ़ नियंत्रण एवं निकास	66.17	2.34
38		4700- बृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	506.66	47.28
39		4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	341.18	43.46
40	50	2702- लघु सिंचाई	76.25	24.36
41		4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	86.63	67.11
42	51	2235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	113.93	11.21
43		2236- पोषण	58.81	5.98
		<b>कुल</b>	<b>6063.33</b>	

परिशिष्ट 2.13

(संदर्भ : कंडिका 2.3.10; पृष्ठ 38)

वित्तीय वर्ष के दौरान अंतिम तिमाही एवं माह मार्च 2010 में सघन व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	मुख्य शीर्ष	2009-10 के दौरान कुल व्यय	वर्ष के अंतिम तिमाही के दौरान व्यय		मार्च 2010 में कुल व्यय	कुल व्यय का प्रतिशतता
			राशि	कुल व्यय का प्रतिशत		
1	2404	37.76	33.88	89.73	32.91	87.15
2	2405	32.02	24.04	75.09	21.94	68.53
3	2408	23.23	23.23	100.00	23.23	100.00
4	2852	222.03	202.53	91.22	181.07	81.55
5	3054	689.42	434.86	63.08	354.45	51.41
6	3604	107.47	107.37	99.91	107.37	99.91
7	4047	82.24	73.23	89.05	46.65	56.73
8	4059	60.66	44.96	74.11	40.26	66.37
9	4202	333.96	303.69	90.94	209.78	62.81
10	4210	120.52	76.99	63.88	74.63	61.92
11	4215	448.05	311.36	69.49	290.77	64.90
12	4217	10.00	10.00	100.00	10.00	100.00
13	4225	26.17	18.58	70.98	16.64	63.57
14	4235	153.59	128.31	83.54	111.80	72.79
15	4250	20.58	14.11	68.53	14.11	68.53
16	4700	470.88	326.68	69.38	275.07	58.42
17	4702	71.67	55.56	77.51	41.30	57.63
18	4885	264.53	264.53	100.00	264.53	100.00
<b>कुल</b>		<b>3174.78</b>	<b>2453.91</b>		<b>2116.51</b>	



## परिशिष्ट 2.14

(संदर्भ : कडिका 2.4; पृष्ठ 38)

वर्ष 2009-10 के दौरान (प्रत्येक मामले में) ₹10 करोड़ से ज्यादा की असमाशोधित राशि की विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	मुख्य शीर्ष	असमाशोधित राशि
1	2011- संसद/राज्य/संघ शासित प्रदेश विधानमंडल	35.00
2	2013- मंत्रिपरिषद	11.37
3	2014- न्याय प्रशासन	221.69
4	2015- निर्वाचन	51.69
5	2029- भू-राजस्व	312.26
6	2039- राज्य उत्पाद	44.02
7	2040- बिक्री, व्यापार आदि पर कर	26.81
8	2041- वाहन पर कर	10.41
9	2048- ऋण घटाने या उसका परिहार के लिए विनियोजन	140.00
10	2049- ब्याज भुगतान	3685.48
11	2051- लोक सेवा आयोग	12.17
12	2052- सचिवालय सामान्य सेवाएँ	62.53
13	2053- जिला प्रशासन	370.53
14	2054- कोषागार एवं लेखा प्रशासन	45.50
15	2055- पुलिस	1817.39
16	2058- लेखन सामग्री एवं मुद्रण	12.41
17	2059- लोक निर्माण कार्य	206.07
18	2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	149.7
19	2071- पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	4318.7
20	2202- सामान्य शिक्षा	7298.83
21	2204- खेलकूद तथा युवा सेवाएँ	21.46
22	2205- कला एवं संस्कृति	11.20
23	2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	1162.99
24	2211- परिवार कल्याण	213.12
25	2215- जलापूर्ति एवं सफाई	389.00
26	2217- शहरी विकास	1045.50
27	2220- सूचना तथा प्रचार	46.89
28	2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	407.53
29	2230- श्रम एवं रोजगार	50.73
30	2235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	1325.54
31	2236- पोषाहार	911.83
32	2245- प्राकृतिक आपदा के कारण राहत	10.56
33	2250- अन्य सामाजिक सेवाएँ	123.98
34	2251- सचिवालय सामाजिक सेवाएँ	27.55
35	2401- फसल कृषि-कर्म	379.92
36	2402- मृदा तथा जल संरक्षण	19.00
37	2403- पशु पालन	193.64
38	2404- डेरी विकास	35.89
39	2405- मछली पालन	30.98
40	2406- वानिकी तथा वन्य प्राणी	91.01
41	2408- खाद्य, भंडारण तथा भंडारागार	23.23
42	2415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	123.29
43	2425- सहकारिता	23.17
44	2501- ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	192.51
45	2505- ग्राम नियोजन	842.92
46	2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	1408.47
47	2700- वृहत सिंचाई	54.25

क्रम सं०	मुख्य शीर्ष	असमाशोधित राशि
48	2701- मध्यम सिंचाई	41.52
49	2702- लघु सिंचाई	190.81
50	2705- कमांड क्षेत्र विकास	73.13
51	2711- बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकास	49.76
52	2801- ऊर्जा	840.00
53	2851- ग्राम एवं लघु उद्योग	24.48
54	2852- उद्योग	218.26
55	2854- सड़क एवं सेतु	670.40
56	3451- सचिवालय आर्थिक सेवाएँ	28.00
57	3452- पर्यटन	26.78
58	3454- जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	18.15
59	3456- सिविल पूर्ति	109.67
60	3604- स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	107.47
61	4047- अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	66.63
62	4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	93.68
63	4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	44.96
64	4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	25.80
65	4202- शिक्षा, खेल-कूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	329.02
66	4210- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	120.52
67	4215- जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय	448.05
68	4217- शहरी विकास पर पूंजी परिव्यय (निवेश)	10.00
69	4225- अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	26.17
70	4235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	153.04
71	4250- अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	20.36
72	4515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	826.33
73	4700- बृहत सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	416.85
74	4701- मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	39.45
75	4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	71.67
76	4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय	762.49
77	4801- ऊर्जा परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	376.00
78	4885- उद्योगों एवं खनिजों पर पूंजीगत परिव्यय	264.53
79	5054- सड़कों एवं पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	3051.01
80	5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	27.78
	<b>कुल</b>	<b>37571.49</b>

## परिशिष्ट 2.15

(संदर्भ: कंडिका 2.5; पृष्ठ 38)

## नित्य प्रयोजन के लिए आकरिमिक निधि से निकासी का विस्तृत विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	मुख्य शीर्ष	विभाग	प्रयोजन	राशि	
1.	2011	राज्य विधान मंडल	कार्यशाला तथा सेमिनार	0.11	
2.		-वही-	वेतन	0.16	
3.		-वही-	कार्यालय व्यय	0.30	
4.	2012	राज्यपाल	नई गाड़ी का क्रय	0.11	
5.	2013	मंत्रिपरिषद्	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	0.04	
6.	2014	न्यायिक प्रशासन	वेतन एवं भत्ते	0.14	
7.	2015	निर्वाचन	ग्राम पंचायत चुनाव	0.16	
8.		-वही-	लोक सभा चुनाव के लिए यात्रा भत्ता	11.00	
9.		-वही-	विधान सभा चुनाव	4.51	
10.	2052	सचिवालय	पिछड़ी जातियों को सहायता	0.20	
11.		-वही-	वेतन एवं भत्ते	0.09	
12.		-वही-	नई गाड़ी का क्रय	0.18	
13.		-वही-	मोटर गाड़ी	0.19	
14.	2053	-वही-	जे.पी.सेनानियों को सम्मान योजना	0.67	
15.		जिला प्रशासन	यंत्र का सुधारीकरण	0.35	
16.		2055	पुलिस	यात्रा भत्ता	6.00
17.			-वही-	सुरक्षा बल पर व्यय	2.68
18.			-वही-	गाड़ियों की मरम्मत	9.09
19.			-वही-	मोटर गाड़ी	12.00
20.			-वही-	वेतन एवं भत्ते	0.75
21.			-वही-	विशेष पुलिस बल के लिए मानदेय	3.52
22.			-वही-	पुलिस की नियुक्ति	3.35
23.			-वही-	पुलिस प्रशासन की आधुनिकीकरण	3.00
24.	2070		अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	भागलपुर दंगा	0.19
25.			-वही-	कहलगांव गोली कांड	0.14
26.		-वही-	कार्यालय व्यय	1.00	
27.		-वही-	वेतन एवं भत्ते	0.04	
28.		-वही-	अन्वेषण ब्यूरो के लिए पोशाक	0.07	
29.		-वही-	अतिथि गृह	0.05	
30.		-वही-	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	0.08	
31.	2202	सामान्य शिक्षा	मुख्यालय स्थापना	0.04	
32.	2210	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	लघु निर्माण कार्य	0.20	
33.		-वही-	औषधि भंडार	0.11	
34.	2215	जलापूर्ति एवं सफाई	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	0.03	
35.	2225	अनु. जाति, जन जाति एवं पिछड़ों का कल्याण	महादलित विकास	30.00	
36.		-वही-	छात्रवृत्ति	5.23	
37.	2235	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	जे.पी.सेनानी सम्मान योजना	10.00	
38.		-वही-	कन्या सुरक्षा योजना	15.00	
39.		-वही-	सामान्य जन बीमा	0.60	
40.	2250	अन्य सामाजिक सेवाएँ	बिहार हज कमिटी को अनुदान	0.14	
41.		-वही-	वक्फ समिति सर्वे का कम्प्यूटरीकरण	0.35	
42.	2251	सचिवालय एवं सामाजिक सेवा	लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	0.12	
43.		-वही-	रोजगार एवं प्रशिक्षण	0.46	
44.		-वही-	यात्रा व्यय (दो बार)	0.17	
45.	2401	फसल कृषिकर्म	कृषि विकास	26.63	
46.		-वही-	किसानों को सहायता (चार बार)	414.07	
47.		-वही-	फसल किस्त (दो बार)	35.21	

क्रम सं०	मुख्य शीर्ष	विभाग	प्रयोजन	राशि
48.		-वही-	ईख फसल	2.75
49.	2402	मिट्टी एवं जल संरक्षण	मुख्यालय स्थापना	0.16
50.	2408	खाद्य निगम	किसानों को वित्तीय सहायता	23.23
51.	2515	ग्रामीण विकास विभाग	वेतन एवं भत्ते	0.07
52.	2801	ऊर्जा विभाग	बिहार विद्युत बोर्ड विपन्न	30.00
53.	2851	ग्राम एवं कुटीर उद्योग	उद्योग विभाग की स्थापना	1.58
54.	3451	सचिवालय आर्थिक सेवा	मोटर गाड़ी का कच (दो बार)	0.24
55.		-वही-	कृषि विकास	0.21
56.		-वही-	सड़क निर्माण	0.03
57.	3456	नागरिक आपूर्ति	जिला प्रसार एवं जन उपयोगिता	0.99
58.		-वही-	जन वितरण प्रणाली	11.31
59.	3604	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन	जिला परिषद को शेष का भुगतान	35.00
60.	4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	भवन निर्माण	0.10
61.	4210	लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा पर पूंजीगत परिव्यय	आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माण केन्द्र के लिए मशीन की खरीद	0.16
62.	4220	सूचना एवं प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय	भवन निर्माण	2.00
63.	4235	मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	कब्रिस्तान की घेराबन्दी	20.00
64.	5054	सड़क एवं पुल पर पूंजीगत परिव्यय	नाबार्ड से ऋण	50.00
65.		-वही-	सड़क निर्माण	50.00
66.	7055	सड़क परिवहन के लिए कर्ज	बिहार परिवहन को ऋण (तीन बार)	189.42
		<b>कुल</b>		<b>1015.78</b>

**परिशिष्ट 2.16**  
(संदर्भ: कंडिका 2.8.3; पृष्ठ 43)  
अप्रयुक्त प्रावधान

(₹ लाख में)

क्रम सं०	लेखा शीर्ष	विवरण/उद्देश्य	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	बचत/व्ययगत
1	2245011010004	सूखा प्रभावित लोगों के लिए कपड़े/बर्तन का मुफ्त वितरण	1.00	-	1.00
2	2245012820001	दवाओं की आपूर्ति	25.00	200.00	225.00
3	2245018000001	जल आपूर्ति हेतु कूओं आदि की मरम्मत	200.00	500.00	700.00
4	2245018000002	अन्य कार्य	10.00	3000.00	3010.00
5	2245018000004	स्वनिर्भरता	1.00	-	1.00
6	2245021040001	चारे की आपूर्ति	207.00	-	207.00
7	2245021050001	पशुओं के लिए दवाएँ	200.00	-	200.00
8	2245021080001	सरकारी आवासीय भवनों के मरम्मत एवं रख-रखाव	10.00	-	10.00
9	2245021090001	क्षतिग्रस्त जल तंत्र एवं निकास तंत्र की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार	80.00	-	80.00
10	2245021120003	राहत कार्यों के लिए सुरक्षा एवं निकासी यंत्र की खरीद	100.00	-	100.00
11	2245021130002	आग से क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत	50.00	-	50.00
12	2245021130003	अन्य प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत	50.00	-	50.00
13	2245021140002	वार्षिक फसलों के लिए अनुदान	100.00	-	100.00
14	2245021140003	कृषि फसलों के लिए अनुदान	100.00	-	100.00
15	2245021140004	बागवानी फसल के लिए अनुदान	50.00	-	50.00
16	2245021140005	बारहमासी फसलों के लिए अनुदान	50.00	-	50.00
17	2245021150002	मत्स्य क्षेत्र से गाद/बालु इत्यादि की निकासी	50.00	-	50.00
18	2245021160001	खराब नलकूप की मरम्मत के लिए किसानों को अनुदान	50.00	-	50.00
19	2245021170002	दुधारू पशुओं का बदलाव	15.00	-	15.00
20	2245021190001	खराब औजारों तथा उपकरणों की मरम्मत/प्रतिस्थापन के लिए कारीगर को सहायता	15.00	-	15.00
21	2245021190002	सूत एवं अन्य सामग्रियों के क्रय हेतु सहायता	15.00	-	15.00
22	2245021190003	हस्तकरधा बुनकरों को सहायता अनुदान	13.00	-	13.00
23	2245021960001	जिला परिषद/जिला स्तरीय पंचायत को सहायता अनुदान	10.00	-	10.00
24	2245021970001	प्रखण्ड स्तरीय पंचायत/मध्य स्तरीय पंचायत को सहायता अनुदान	20.00	-	20.00
25	2245022820001	मानव दवाओं की आपूर्ति	200.00	-	200.00
26	2245028000003	भूखमरी से प्रभावित परिवारों के लिए खाद्यान्न का सुरक्षित भंडारण	50.00	-	50.00
27	2245028000005	स्वरोजगार योजना हेतु ग्रामीण विकास को नगद राशि की आपूर्ति	20.00	-	20.00
28	2245028000006	अनुपूरक पोषाहार की आपूर्ति	55.00	-	55.00
29	2245028000007	गैर सरकारी संस्थाओं से प्राप्त सहायता सामग्री के परिवहन पर होने वाला व्यय	50.00	-	50.00
	<b>कुल</b>		<b>1797.00</b>	<b>3700.00</b>	<b>5497.00</b>

(स्रोत: बिहार सरकार के विस्तृत विनियोग लेखे)

**परिशिष्ट 2.17**

(संदर्भ: कड़िका 2.8.5; पृष्ठ 44)

विभाग द्वारा असमाशोधित रहने के कारण व्यय के आकड़ों में अंतर

(₹लाख में)

क्रम संख्या	लेखे का शीर्ष	विभागीय व्यय	विस्तृत विनियोग लेखे के अनुसार व्यय	अंतर
1	2235-01-200-0003	23.299	24.745	(+)1.446
2	2245-01-101-0001	00.000	179.331	(+)179.331
3	2245-01-101-0003	00.000	2.107	(+)2.107
4	2245-02-101-0004	33.330	33.832	(+)0.502
5	2245-02-101-0008	5.820	6.058	(+)0.238
6	2245-02-102-0001	7.010	7.611	(+)0.601
7	2245-02-106-0001	6687.610	6899.550	(+)211.940
8	2245-02-107-0001	00.000	0.020	(+)0.020
9	2245-02-112-0004	00.000	0.100	(+)0.100
10	2245-02-117-0001	75.320	552.935	(+)477.615
11	2245-02-118-0001	51.560	100.000	(+)48.440
12	2251-00-090-0017	188.650	234.533	(+)45.883
13	2235-01-200-0004	321.667	307.445	(-)14.222
14	2235-60-200-0008	23.950	13.450	(-)10.500
15	2245-01-101-0002	464.790	363.434	(-)101.356
16	2245-01-102-0001	1111.760	1.607	(-)1110.153
17	2245-01-800-0003	2200.000	1849.440	(-)350.560
18	2245-02-101-0001	458.560	452.721	(-)5.839
19	2245-02-101-0002	1938.460	1851.588	(-)86.872
20	2245-02-101-0003	355.100	334.650	(-)20.450
21	2245-02-101-0005	217.070	187.274	(-)29.796
22	2245-02-101-0006	157.120	113.725	(-)43.395
23	2245-02-101-0007	41.510	40.235	(-)1.275
24	2245-02-112-0001	4737.020	4205.897	(-)531.123
25	2245-02-112-0002	760.250	751.584	(-)8.666
26	2245-02-113-0001	1555.830	1117.473	(-)438.357
27	2245-02-114-0001	112.310	96.702	(-)15.608
28	2245-02-115-0001	16.000	10.000	(-)6.000
29	2245-02-117-0003	2.600	1.390	(-)1.210
30	2245-02-282-0003	8.540	8.497	(-)0.043
	<b>कुल</b>	<b>21555.136</b>	<b>19747.934</b>	

(स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखे, बिहार सरकार)

- नोट:-(i) विभिन्न कॉलम में दर्शाया गया (+) का चिन्ह, “विस्तृत विनियोजन लेखे के अंतर्गत, विभागीय व्यय के विरुद्ध अधिकायी व्यय को प्रदर्शित करता है। विस्तृत विनियोग लेखे के अंतर्गत ₹ 9.68 करोड़ के 12 मामले अधिकायी व्यय के थे।
- (ii) विभिन्न कॉलम में दर्शाया गया (-) का चिन्ह, “विस्तृत विनियोजन लेखे के अंतर्गत, विभागीय/व्यय की तुलना में कम व्यय को दर्शाता है। विस्तृत विनियोग लेखे के अंतर्गत, कम व्यय के 18 मामले ₹ 27.75 करोड़ के थे।

## परिशिष्ट 3.1

(संदर्भ: कंडिका 3.2; पृष्ठ 48)

## 31 मार्च 2010 को लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान भुगतान का वर्ष	प्रारंभ में बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों का कुल संख्या/राशि		उपयोगिता प्रमाण पत्र			
				प्राप्त		लंबित	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	अब तक	20190	1111.83	-	-	20190	1111.83
2	2001-02	452	261.62	-	-	452	261.62
3	2002-03	40	34.28	05	0.88	35	33.40
4	2003-04	61	150.06	08	27.65	53	122.41
5	2004-05	86	205.84	06	0.31	80	205.53
6	2005-06	75	991.88	06	0.40	69	991.48
7	2006-07	228	1629.66	03	0.81	225	1628.85
8	2007-08*	10	172.65	23 <sup>#</sup>	103.81 <sup>#</sup>	10	172.65
9	2008-09	-	0.00	60 <sup>#</sup>	92.58 <sup>#</sup>	-	-
	<b>कुल</b>	<b>21142</b>	<b>4557.82</b>	<b>28</b>	<b>30.05</b>	<b>21114</b>	<b>4527.77</b>

\* आंकड़े अक्टूबर 2007 तक उपलब्ध। उसके बाद की सूची राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गयी।

# उपयोगिता प्रमाण पत्रों का लंबित संख्या/राशि के विरुद्ध में दिखायी गई समायोजित राशि जो खाते में नहीं ली गई।

परिशिष्ट 3.2

(संदर्भ: कंडिका 3.4; पृष्ठ 49)  
स्वायत्त निकाय का निष्पादन

क्रम सं०	निकाय का नाम	सुपुर्दगी की अवधि	वर्ष जब तक के लेखे प्रस्तुत किए गए	अवधि जब तक के पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी किए गए	पृथक लेखा लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी करने की तिथि	विधायिका में पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट रखी गई	लेखे प्राप्त करने की तिथि	लेखे जमा करने में विलंब
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना	2002-03	-	1989-90 से 1998-99	30.5.2008	सूचित नहीं	2007-08 तक लेखे प्राप्त, शेष लंबित	-
				1999-2000 से 2001-02	28.4.2009			
				2002-03	14.05.2010			
2	बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना	2003-04	-	1994-95 से 1998-99	31.12.2008	सूचित नहीं	2006-07 तक लेखे प्राप्त, शेष लंबित	वही
				1999-2000 से 2002-03	20.11.2009			वही
				2003-04	13.05.2010			
3	बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पटना	स्थाई	2009-10	2008-09	17.06.2010	सूचित नहीं	12.07.2010	वही
4	राजेन्द्र कृषि विश्व विद्यालय पूसा, समस्तीपुर	2010-11	2009-10	2005-06	11.06.2010	सरकार द्वारा सूचित पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट 1971-72 से 1994-95, 1998-99 से 2001 एवं 2003-04 से 2005-06 तक की अवधि के लिए सरकार को पहले ही भेजा जा चुका है जो विधायिका में रखे जाने की सूचना प्रतीक्षित है।	13.10.2010	29 माह



## परिशिष्ट 3.3

(संदर्भ: कंडिका 3.6; पृष्ठ 51)

लघु शीर्ष 800 'अन्य व्यय' का परिचालन (50 प्रतिशत एवं ज्यादा व्यय)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	मुख्य शीर्ष कोड	लेखा शीर्ष का नाम	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत व्यय	कुल व्यय
1	2041	वाहन पर कर	6.35	10.41
2	2053	जिला प्रशासन	204.47	379.91
3	2217	शहरी विकास	797.65	1045.50
4	2250	अन्य समाजिक 'अन्य'	122.87	123.99
5	2401	फसल कृषि कर्म	516.47	923.82
6	2501	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	200.01	200.72
7	4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	37.80	37.90
8	4700	वृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	403.96	470.88
9	4701	मध्यम सिंचाई परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय	39.49	42.97
10	4711	बाढ़ नियंत्रण परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय	446.54	763.10
11	4801	शक्तिपरियोजना पर पूंजीगत परिव्यय	376.00	376.00
12	4885	उद्योग एवं खनिज पर पूंजीगत परिव्यय	264.53	264.53
13	5452	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	27.78	27.78
14	6801	शक्ति परियोजना के लिए ऋण	596.72	626.25
		<b>कुल</b>	<b>4040.64</b>	<b>5293.76</b>

परिशिष्ट 3.4

(संदर्भ: कडिका 3.6; पृष्ठ 51)

लघु शीर्ष 800 'अन्य प्राप्तियां' का परिचालन (50 प्रतिशत एवं ज्यादा)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	मुख्य शीर्ष कोड	लेखा शीर्ष का नाम	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत व्यय	कुल प्राप्तियां
1	0058	लेखन सामग्री एवं मुद्रण	0.01	0.02
2	0215	जलापूर्ति एवं प्रबन्धन	3.10	5.15
3	0851	लघु एवं ग्राम उद्योग	0.07	0.11
4	0217	शहरी विकास	0.02	0.03
5	0235	समाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	0.62	0.85
6	0406	वानिकी एवं वन्यप्राणी	6.02	6.78
7	0506	भूमि सुधार	0.10	0.11
8	0515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	26.73	28.81
9	0059	लोक निर्माण कार्य	8.93	8.94
10	0075	विविध सामान्य सेवाएँ	770.06	770.28
11	0852	उद्योग	30.15	30.15
12	1054	सड़क एवं पुल	30.02	30.02
13	1456	नागरिक आपूर्ति	0.07	0.07
		<b>कुल</b>	<b>875.90</b>	<b>881.32</b>

## परिशिष्ट 3.5

(संदर्भ: कडिका 3.7; पृष्ठ 51)

गबन, दुर्विनियोजन, हानि एवं चोरी के मामलों का विभागवार/वर्षवार विवरणी

क्र० सं०	विभाग का नाम	5 वर्षों तक	5 से 10 वर्ष	मामलों की कुल संख्या
1	सड़क निर्माण	04	01	05
2	जल संसाधन	07	-	07
3	भवन-निर्माण	01	-	01
4	लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण	02	-	02
5	ग्रामीण विकास	635	81	716
6	श्रम नियोजन	03	-	03
7	उद्योग	02	-	02
8	कल्याण	117	-	117
9	गृह	24	-	24
10	स्वास्थ्य	33	-	33
11	भूमि अधीग्रहण	11	-	11
12	समान्य प्रशासन	15	-	15
13	विधायक/पार्षद निधि	01	-	01
14	सहकारी	01	-	01
15	निर्वाचन	04	-	04
16	व्यवहार न्यायालय	01	-	01
17	पशुपालन एवं मत्स्य	12	-	12
18	मानव संसाधन	30	-	30
19	नगर विकास एवं आवास	25	04	29
20	वन	02	-	02
21	जिला उप-निबंधक	01	-	01
22	ग्रामीण कार्य	03	-	03
23	लघु-सिंचाई	01	-	01
	<b>कुल</b>	<b>935</b>	<b>86</b>	<b>1021</b>

परिशिष्ट 3.6

(संदर्भ: कंडिका 3.7; पृष्ठ 51)

गबन, दूर्विनियोजन, हानि एवं चोरी के मामलो के संदर्भ में विभागवार विवरणी

(राशि: ₹ करोड़ में)

विभाग का नाम	गबन, दूर्विनियोजन, हानि तथा चोरी	
	संख्या	राशि
सड़क निर्माण	05	2.46
जल संसाधन	07	12.65
भवन निर्माण	01	0.33
लोक स्वास्थ्य एवम् अभियंत्रण	02	2.46
ग्रामीण विकास	716	328.36
श्रम एवम् नियोजन	03	0.62
उद्योग	02	5.67
कल्याण	117	12.66
गृह	24	1.52
स्वास्थ्य	33	5.26
भु-अर्जन	11	3.80
सामान्य प्रशासन	15	6.73
विधायक/विधान पार्षद निधि	01	0.02
सहकारी	01	2.66
निर्वाचन	04	1.43
व्यवहार न्यायालय	01	0.29
पशुपालन एवम् मतस्य	12	5.18
मानव संसाधन	30	11.50
नगर विकास एवं आवास	29	3.33
वन	02	0.39
जिला उप निबंधक	01	0.26
ग्रामीण कार्य	03	0.39
लघु सिंचाई	01	नगण्य
<b>कुल</b>	<b>1021</b>	<b>407.97</b>